<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा.सं.06/15/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 13 अगस्त, 2025

<u>अंतिम जांच परिणाम</u>
<u>मामला सं. एडी-(ओआई)-13/2024</u>

विषय: <u>वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।</u>

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा.सं.06/15/2024-डीजीटीआर: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, मूल्यांकन और पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 ("पाटनरोधी नियमावली 1995" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली") को ध्यान में रखते हुए।

1. इंडियन स्टील एसोसिएशन ("आईएसए" या "आवेदक") ने घरेलू उत्पादकों, अर्थात् जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से "आवेदक कंपनियां" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया है) की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "सीमा प्रशुल्क अधिनियम" कहा गया है) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार वियतनाम ("संबद्ध देश") के मूल के अथवा वहां से निर्यातित **"मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों"** ("विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध सामान " अथवा "एचआर स्टील" अथवा

"पीयूसी") के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र दायर किया था।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/15/2024-डीजीटीआर दिनांक 14 अगस्त 2024 द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5 के साथ पठित सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू की।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

3. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(5) के अनुसार जांच की कार्यवाही शुरु करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को 27.05.2024 को अधिसूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 14 अगस्त, 2024 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. आवेदक ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि ("पीओआई") 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 का प्रस्ताव किया था। तथापि, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच की अवधि को 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 (15 माह) मानी। जांच की अवधि 12 महीने की सामान्य अवधि के बजाय 15 महीने मानी गई थी ताकि जांच की अवधि, जांच शुरु होने की तिथि से 6 महीने के भीतर हो। वर्तमान जांच के लिए क्षति जांच अवधि 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023 और जांच की अवधि है।

घ. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को 23.08.2024 को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित प्रपत्र और तरीके से संगत सूचना प्रदान दें और जांच की शुरुआत की अधिसूचना द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने अनुरोध दें।

ङ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) के अनुसार आवेदक द्वारा दायर आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रतिलिपि ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा भारत में संबद्ध देश के दूतावास को भी परिचालित की।

च. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली के उत्तर जांच की शुरुआत की अधिसूचना द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करने की सलाह दें।

छ. हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज के अगोपनीय रूपांतर के परिचालित होने के 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था।

ज. प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्कों के आर्थिक प्रभाव के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक आर्थिक हित प्रश्नावली (जिसे आगे 'ईआईक्यू' कहा गया है) भी जारी की।

झ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश मे निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी:

i. होआ फ़ाट डंग क्वाट स्टील जेएससी
ii. फॉर्मोसा हा तिन्ह स्टील कॉर्पोरेशन

ञ. संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:

i. होआ फाट डुंग क्वाट स्टील जेएससी ("होआ फाट")
ii. जेएफई शोजी कॉर्पोरेशन सिंगापुर ("जेएफई शोजी")
iii. फॉर्मोसा हा तिन्ह स्टील कॉर्पोरेशन ("एफएचएस")

ट. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना के मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी:

I. भरतकुमार इंद्रसेन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
ii. डीएमएसंस मेटल प्राइवेट लिमिटेड
iii. जी जी स्टील्स
iv. हरियाणा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
v. के. अमीशकुमार ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
vi. किको स्टील एलएलपी
vii. कृष्णा शीट प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड
viii. मेनेटा ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
ix. नर्मदा आयरन एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
x. नेहान एक्सपोर्ट्स
xi. नेज़ोन ट्यूब्स लिमिटेड
xii. आर.के. स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
xiii. आरएनवी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
xiv. एस एम स्टील्स
xv. श्री कृष्णा स्टील्स
xvi. स्टैंडर्ड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
xvii. सूर्या रोशनी लिमिटेड

xviii. तुराखिया समूह

xix. वी.के. इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

xx. विराज इम्पेक्स प्रा. लिमिटेड

ठ. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध जांच में पंजीकृत किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर दायर करके भाग नहीं लिया है। स्टील यूजर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ('एसयूएफआई'), जो आयातकों/प्रयोक्ताओं की एक एसोसिएशन है, ने प्राधिकारी के समक्ष कानूनी अनुरोध दिए हैं।

ड. संबद्ध देश के जिन उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है या जांच में सहयोग नहीं किया है, उन्हें जांच में असहयोगी माना गया है।

ढ. हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और उत्पाद नियंत्रण संख्या ("पीसीएन") पद्धति पर अपनी टिप्पणियाँ दायर करने के लिए जांच की शुरुआत की तारीख से 15 दिनों का समय दिया गया था। प्राधिकारी को पीयूसी/पीसीएन पर टिप्पणियाँ दायर करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने के लिए एक हितबद्ध पक्षकार से अनुरोध प्राप्त हुआ। इसके बाद, प्राधिकारी ने पीयूसी/पीसीएन पर टिप्पणियाँ दायर करने के लिए 10 सितंबर, 2024 तक का अतिरिक्त समय प्रदान किया।

ण. प्राधिकारी ने 1 अक्टूबर, 2024 को पीयूसी के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में एक बैठक आयोजित की। इसके बाद, प्राधिकारी ने 19 नवंबर 2024 के अपने पत्र के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद के अंतिम क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के अंतिम क्षेत्र को अधिसूचित किया। प्राधिकारी ने पीयूसी के उसी क्षेत्र की पुष्टि की और उन्हीं पीसीएन को अपनाया जो 14 अगस्त 2024 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना- फा. संख्या 6/15/2024-डीजीटीआर में प्रस्तावित किए गए थे। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावली के उत्तर दायर करने के लिए 19 नवंबर 2024 से

30 दिनों का समय दिया। कुछ हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर, प्राधिकारी ने प्रश्नावली के उत्तर दायर करने के लिए एक सप्ताह का और विस्तार अर्थात 26 दिसंबर, 2024 तक का समय दिया।

त. डीजी सिस्टम्स से क्षति अवधि और जांच अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों का लेन-देन-वार ब्यौरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को यह प्राप्त हुआ और अंतिम जांच परिणामों में इस पर विचार किया गया है।

थ. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 3 अप्रैल, 2025 को आयोजित मौखिक सुनवाई के माध्यम से संबद्ध जांच के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध और उसके बाद यदि कोई प्रत्युत्तर अनुरोध है, दायर करने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद, निर्दिष्ट प्राधिकारी के परिवर्तन के कारण 13 जून, 2025 को एक और मौखिक सुनवाई आयोजित की गई। दूसरी मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी पक्षकारों को लिखित अनुरोध और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करने का अवसर प्रदान किया गया। हितबद्ध पक्षकारों को लिखित अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करने का भी निर्देश दिया गया।

द. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पारस्परिक आधार पर प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर व्यापार सूचना संख्या 01/2020 दिनांक 10 अप्रैल 2020 के माध्यम से निर्धारित तरीके से उपलब्ध कराया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना/अनुरोधों की जांच ऐसे गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने ऐसी सूचना/अनुरोधों को गोपनीय माना है। गोपनीयता के दावों को स्वीकार न करने की स्थिति में, हितबद्ध पक्षकारों

को इसका अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करने और इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करने का निर्देश दिया गया था।

ध. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच और सत्यापन आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया है और वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के लिए उस पर विश्वास किया गया है।

न. क्षति रहित कीमत (जिसे आगे "एनआईपी" कहा गया है) का निर्धारण, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, भारत में संबद्ध सामानों के लिए उत्पादन लागत और नियोजित पूंजी पर उचित आय के आधार पर किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

प. संबद्ध देश के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच और सत्यापन भी, आवश्यकतानुसार किया गया और वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ उसी पर भरोसा किया गया है।

फ. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी अनिवार्य तथ्यों से युक्त प्रकटन विवरण 23 जुलाई 2025 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया। प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की, संगत मानी गई सीमा तक जांच की है। कोई भी अनुरोध जो केवल पिछले अनुरोध की पुनरावृत्ति थी और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

ब. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और प्रदान की गई सूचना पर विचार किया है, इस सीमा तक कि वे साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत माने जाते हैं।

भ. इस अंतिम जांच परिणाम में "***" गोपनीय आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना और पाटनरोधी नियमावली,1995 के नियम 7 के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते है।

म. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि के लिए विनिमय दर 1 यूएस डॉ.= 83.52 रुपए है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

4. जांच की शुरुआत के स्तर पर परिभाषित किए गए अनुसार, विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार है-

"3. संबद्ध जांच में विचाराधीन उत्पाद "मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद हैं, जो 25 एमएम तक की मोटाई और 2100 एमएम तक की चौड़ाई के, आवरण रहित, प्लेटेड या कोटेड नहीं हैं"।

4. पीयूसी में ऐसे उत्पाद शामिल हैं जो हॉट रोल्ड से आगे संसाधित नहीं किए गए हैं और मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के फ्लैट उत्पाद हैं, प्राइम या नॉन-प्राइम स्थिति में जिनमें 'ऐज-रोल्ड' किनारा या 'ट्रिम्ड' किनारा या 'स्लिट' किनारा या 'मिल्ड' किनारा या 'शियर्ड' किनारा या 'लेजर-कट' किनारा या 'गैस-कट' किनारा या किसी अन्य प्रकार का किनारा होता है। ये उत्पाद पिकल्ड या नॉन-पिकल्ड (स्किन-पास या टेम्परिंग के साथ या बिना), स्लिट या नॉन-स्लिट, सामान्यीकृत या गैर-सामान्यीकृत, अल्ट्रा-सोनिक रूप से परीक्षित या अपरीक्षित, तेलयुक्त या गैर-तेलयुक्त आदि हो सकते हैं। ये उत्पाद 'ऐज-रोल्ड' हो सकते हैं। या 'थर्मो-मैकेनिकल रूप से रोल्ड' या 'थर्मो-मैकेनिकल रूप से नियंत्रित रोल्ड' या 'नियंत्रित रोल्ड' या 'सामान्यीकृत रोल्ड' या 'सामान्यीकृत' या किसी अन्य समान प्रक्रिया के अधीन हो सकते है। इन उत्पादों को विभिन्न प्ररूपांतर चरणों जैसे

पिकलिंग, ऑइलिंग, रीवाइंडिंग, रीकॉइलिंग, टेम्पर रोलिंग, हीट ट्रीटमेंट आदि के अधीन किया गया हो सकता है। इन उत्पादों को सैंड ब्लास्ट या शॉट ब्लास्ट किया जा सकता है या इसी तरह की प्रक्रियाओं के अधीन किया जा सकता है। पीयूसी में कॉइल में हॉट-रोल्ड फ्लैट उत्पाद और लंबाई में कटौती शामिल है।

5. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग ऑटोमोटिव, तेल और गैस लाइन पाइप/अन्वेषण, कोल्ड रोल्ड स्टील उत्पाद, पाइप निर्माण, सामान्य इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन, निर्माण, पूंजीगत वस्तुओं, सीमेंट, उर्वरक, रिफाइनरियों, अर्थ-मूविंग आदि के लिए प्रक्रिया उपकरण में किया जाता है।

6. विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क शीर्ष 7208, 7211, 7225 और 7226 के तहत यह विचाराधीन उत्पाद वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

7. विचाराधीन उत्पाद में स्टेनलेस स्टील के हॉट-रोल्ड फ्लैट उत्पाद शामिल नहीं हैं।

8. याचिकाकर्ताओं ने निष्पक्ष तुलना के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) प्रस्तावित की है:

संबद्ध सामानों के लिए पीसीएन				
क्र.सं.	**विशेषताएँ**	**अंकों की संख्या**	**विवरण**	**कोड**
1	उत्पाद का प्रकार	*1*	मिश्र धातु	ए
			गैर-मिश्र धातु	एन
2	मोटाई	*1*	5 एमएम तक और उसके सहित	सी
			5 एमएम से अधिक	डी

3	चौड़ाई	*1*	1500 एमएम तक और उसके सहित	यू
			1500 एमएम से अधिक	एम

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित उत्पादों/श्रेणियों को बाहर करने की माँग की है:

- एलॉय स्टील हॉट रोल्ड कॉइल
- 800 एमएम से कम चौड़ाई वाले गैर-मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद
- 0.25 एमएम से अधिक कार्बन वाले गैर-मिश्र धातु कॉइल
- 600 एमएम और उससे कम चौड़ाई वाले मिश्र धातु/गैर-मिश्र धातु कॉइल
- 1600 एमएम से अधिक चौड़ाई वाले मिश्र धातु/गैर-मिश्र धातु कॉइल
- लंबाई में काटे गए कॉइल
- पिकल्ड कॉइल या ऑइलड कॉइल

ख. इन उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि इन उत्पादों को वियतनाम के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा कभी भी भारत नहीं भेजा गया था।

ग. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना के पैरा 6 के उल्लेख किया है कि "विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क शीर्ष 7208, 7211, 7225 और 7226 के अंतर्गत वर्गीकृत है"। हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि गैर-मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों का निर्यात एचएस कोड 7211, 7225 और 7226 के अंतर्गत नहीं किया जाता है और प्राधिकारी द्वारा इसकी पुनः जांच किए जाने की आवश्यकता है।

घ. मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि जांच अवधि के दौरान वियतनाम से मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों का आयात नहीं किया गया था। मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद और गैर-मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद समान वस्तु नहीं हैं क्योंकि इनके कच्चे माल, एचएस कोड और प्रयोग अलग-अलग हैं।

ङ. प्राधिकारी को तुलनात्मक अध्ययन के लिए निम्नलिखित पीसीएन निर्धारित करने चाहिए:

क्र.सं.	**विशेषताएँ**	**विवरण**	**कोड**
1	उत्पाद प्रकार	मिश्र धातु	ए
		गैर-मिश्र धातु	एन
2	मोटाई (वास्तविक)	2 एमएम	02
		2.8 एमएम	02.8
		3 एमएम	03
		(आदि)	
3	चौड़ाई (वास्तविक)	600 एमएम	0600
		1200 एमएम	1200
		(आदि)	
5	संबद्ध सामानों की गुणवत्ता	कोल्ड रोलिंग/गैल्वनाइजिंग गुणवत्ता	क्यू01
		पाइप और ट्यूब गुणवत्ता	क्यू 02
		उच्च तन्यता (एचएसएलए सहित)	क्यू03

		उच्च शक्ति संरचनात्मक इस्पात (वाईएस 350 एमपीए और अधिक)	क्यू04
		संरचनात्मक इस्पात (वाईएस 350 एमपीए से कम)	क्यू05
		चेकर्ड गुणवत्ता	क्यू06
		ड्राइंग/फॉर्मिंग/ फ्लैंजिंग गुणवत्ता इस्पात	क्यू07
		एपीआई ग्रेड एक्स 52 और उससे अधिक गुणवत्ता इस्पात	क्यू08
		एपीआई ग्रेड एक्स52 से कम गुणवत्ता इस्पात	क्यू09
		क्वेंचड/टेम्पर्ड गुणवत्ता	क्यू10
		संक्षारण प्रतिरोधी इस्पात गुणवत्ता	क्यू11
		बॉयलर/प्रेशर वैसल गुणवत्ता	क्यू12
		पोत निर्माण गुणवत्ता	क्यू13
		एलपीजी सिलेंडर गुणवत्ता	क्यू14
		मध्यम/उच्च कार्बन इस्पात गुणवत्ता	क्यू15
		सिलिकॉन विद्युत इस्पात	क्यू16

		अन्य गुणवत्ताएं जो ऊपर शामिल नहीं हैं	क्यू17

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर करने के लिए आयातकों का दावा सामान्य है और इसमें विशिष्ट ग्रेड का उल्लेख नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार के एचआर स्टील सूचीबद्ध हैं। आयातकों ने बाहर करने की मांग करते समय लगभग सभी प्रकार के विचाराधीन उत्पादों को सूचीबद्ध किया है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से इस तरह के व्यापक श्रृंखला में बाहर किए जाने से वर्तमान पाटनरोधी जांच और परिणामस्वरूप पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना निरर्थक हो जाएगा। आयातकों द्वारा बाहर किए जाने के अधिकतर अनुरोध में केवल फ्रिंज ऑपरेशन जैसे कि स्लिटिंग, कटिंग और आकार बदलना आदि की आवश्यकता होती है, जो बहुत ही नगण्य लागत पर किया जाता है। इन्हें बाहर किए जाने की अनुमति से से संबद्ध जांच का प्रयोजन ही नष्ट हो जाएगा।

ख. यदि बाहर किए जाने वाले उत्पाद जांच की अवधि के दौरान भारत में आयात नहीं किए जाते हैं, तो आयातकों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से उत्पाद किस्मों को बाहर करने की मांग करने की आवश्यकता नहीं होती है। पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना की संभावना पैदा करने के लिए बाहर करने की मांग की जा रही है।

ग. *चीन जन.गण., कोरिया, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों* पर पाटनरोधी जांच में, चौड़ाई के आधार पर स्टेनलेस स्टील को बाहर करने से प्रवंचना हुई और प्रवंचना

जांच के माध्यम अधिक चौड़ाई वाले उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाया गया था।

घ. आयातकों के दावे की तथ्यात्मक सत्यता संदेह में है क्योंकि:

- भारत में कुल आयातों के संबंध में कुछ आयातकों के दावे पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वियतनाम से संबद्ध वस्तुओं के 20 से अधिक आयातक हैं।
- आयातकों के दावे का प्राधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं दायर नहीं किया है।
- पूंजी क्षति जाँच अवधि के दौरान किए गए आयातों की जाँच की जानी चाहिए, न कि केवल जाँच अवधि के दौरान। किसी भी कारण से जाँच अवधि में कुछ उत्पाद प्रकारों के आयातों का न होना, ऐसे उत्पाद प्रकारों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर करने का औचित्य नहीं हो सकता।
- विचाराधीन उत्पाद को एचएस कोड 7208, 7211, 7225 और 7226 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। एचएस कोड 7211 विशेष रूप से 600 मिमी से कम के गैर-मिश्र धातु उत्पादों को कवर करता है। एचएस कोड 7225 और 7226 विशेष रूप से मिश्र धातु इस्पात उत्पादों को कवर करते हैं। जांच की अवधि सहित इन एचएस कोड के अंतर्गत वियतनाम से विचाराधीन उत्पाद के आयातों का इतिहास रहा है।

ङ. घरेलू उद्योग उन सभी उत्पादों का उत्पादन कर रहा है जिनको बाहर करने की मांग की जा रही है। वियतनाम में उत्पादक/निर्यातक भी सभी प्रकार के उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं। वियतनाम और भारत में विनिर्माण इकाइयाँ एक-दूसरे के बराबर हैं और दोनों के पास सभी ग्रेड के विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करने की क्षमता है। ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों में किसी को बाहर नहीं किया जा सकता।

च. जिन उत्पादों के लिए बाहर करने की मांग की गई है, वे किसी विशिष्ट अंतिम प्रयोग के लिए नहीं हैं। वे वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से अन्य संबद्ध सामानों के साथ प्रतिस्थापनीय हैं।

छ. लंबाई में काटे गए कॉइल को बाहर करने के संबंध में, 'लंबाई में काटे गए कॉइल' और विचाराधीन उत्पाद के रूप में शामिल अन्य एचआर स्टील के बीच कोई अंतर नहीं है। यह वास्तविक उपयोग में लाने से पहले संबद्ध सामानों का आकार बदलने की एक सरल प्रक्रिया मात्र है। उपयोग से पहले सभी एचआर स्टील कॉइल को लंबाई में काटा जाएगा।

ज. पिकल्ड कॉइल और ऑइलड कॉइल को बाहर करने के संबंध में, पिकलिंग और ऑइलिंग सामग्री की सतह से अशुद्धियों, जंग और स्केल को हटाने के लिए सरल उपचार है। इसके अलावा, नॉन ऑयल्ड, नॉन-पिकल्ड विचाराधीन उत्पाद के स्थान पर पिक्स, ऑयल्ड विचाराधीन उत्पाद आदि का उपयोग किया जा सकता है। 0.25% से अधिक कार्बन सामग्री वाले विचाराधीन उत्पाद को बाहर करने के अनुरोध के संबंध में, एचआर स्टील में कार्बन सामग्री शारीरिक रूप से पहचानी जाने वाली विशेषता नहीं है और इसे अलग ग्रेड के रूप में नहीं माना जा सकता है।

झ. मिश्र धातु इस्पात को बाहर करने के संबंध में, कुछ मिश्र धातु सामग्री को जोड़ना आसान है और ऐसे मिश्र धातु इस्पात को गैर-मिश्र धातु इस्पात के समान अंतिम उपयोग के लिए लगाया जा सकता है।

ञ. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के तहत मिश्र धातु इस्पात की परिभाषा के अनुसार, 0.0008% बोरॉन के साथ, इस्पात को मिश्र धातु इस्पात के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। थोड़ा बोरॉन मिलाने से इस्पात की विशेषता में महत्वपूर्ण अंतर नहीं आएगा और यदि मिश्र धातु इस्पात को बाहर रखा जाता है तो पाटनरोधी शुल्क से बचने के लिए इसे आसानी से एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

ट. चीन जन.गण. से मिश्र धातु इस्पात की सीधी लंबाई वाली छड़ों और छड़ों पर पाटनरोधी जांच में, हितबद्ध पक्षकारों/आयातकों ने खुद अनुरोध किया कि कुछ मिश्र धातु तत्वों को मिलाने से इस्पात की विशेषताओं में कोई परिवर्तन

नहीं होता है, भले ही इसे परिभाषा के अनुसार मिश्र धातु इस्पात माना जाता है।

ठ. प्राधिकारी द्वारा एचआर स्टील पर पूर्व पाटनरोधी और रक्षोपाय जांच में, वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जिन उत्पादों के लिए बाहर करने की मांग की गई है, उन्हें बाहर नहीं किया गया था।

ड. यह प्राधिकारी की परिपाटी है कि भारत में आयातित नहीं किए जाने वाले उत्पाद प्रकार को बाहर करने का प्रश्न विशेष रूप से तब नहीं उठता जब ऐसे उत्पाद प्रकार का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा किया जाता है।

ढ. *चीन जन.गण. मूल के अथवा वहां से निर्यातित "काटने, अंकन या वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त औद्योगिक लेजर मशीनों" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में,* प्राधिकारी ने पाया कि संबद्ध सामानों के कई प्रकार/आकार/आयाम हो सकते हैं, जो चीन जन.गण. में निर्मित किए जाते हैं और भारत को निर्यात नहीं किए जाते हैं। यदि इस प्रकार या विचाराधीन उत्पाद का स्वरूप समान वस्तु के साथ वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा में है और घरेलू उत्पादक को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उन्हें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। प्राधिकारी ने नोट किया कि घरेलू उद्योग सभी प्रकार की मशीनों का उत्पादन करता है, जिनका आयात नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार, आयातित सभी प्रकार की मशीनों का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जा सकता है। अत:, प्राधिकारी ने पाया कि केवल किसी विशेष उत्पाद प्रकार के गैर-उत्पादन के आधार पर बाहर करने उसे बाहार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

ण. *जापान, रूस, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "हाइलोब्यूटिल-रबर (एचआईआईआर)" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में,* प्राधिकारी ने पाया कि घरेलू उद्योग ने कहा था कि उसने उन उत्पाद प्रकारों का उत्पादन किया है जिनके लिए उसे बाहर करने की मांग की गई थी। अत: उसे बाहर करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

त. *चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ओफ्लॉक्सासिन और इसके मध्यवर्ती पदार्थों पर पाटनरोधी जांच में,* विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में ओ-एस्टर, ओ-एसिड और ओफ्लॉक्सासिन शामिल थे। जांच अवधि के दौरान भारत में ओ-एस्टर का कोई आयात नहीं हुआ, लेकिन प्राधिकारी द्वारा इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा गया क्योंकि ओ-एस्टर को बाहर रखने से ओ-एसिड और ओफ्लॉक्सासिन पर पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना होगी।

थ. होआ फाट ने विशेष रूप से 600 एमएम चौड़ाई के लिए पीसीएन का अनुरोध किया है। इससे पता चलता है कि आयातक का यह दावा कि वियतनाम से 800 एमएम से कम चौड़ाई और/या 800 एमएम से कम चौड़ाई वाले एचआर स्टील का कोई आयात नहीं है, गलत है।

द. होआ फाट ने सहमति व्यक्त की है कि उत्पाद का प्रकार, चौड़ाई और मोटाई संगत मानदंड हैं। तथापि, होआ फाट ने रेंज के बजाय प्रत्येक मोटाई और चौड़ाई के लिए पीसीएन प्रदान किया है। तथापि, ऐसे पीसीएन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रत्येक प्रकार की चौड़ाई और प्रत्येक प्रकार की मोटाई के बीच लागत और कीमत में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। चौड़ाई और मोटाई की रेंज पर्याप्त मानदंड है। वास्तविक चौड़ाई और वास्तविक मोटाई के आधार पर पीसीएन अव्यावहारिक/अवास्तविक होगा क्योंकि इससे हजारों पीसीएन उत्पन्न होंगे।

ध. एचआर स्टील पर पाटनरोधी शुल्क की पिछली निर्णायक समीक्षा में, चौड़ाई की रेंज और मोटाई की रेंज को पीसीएन के रूप में प्रत्येक मोटाई और चौड़ाई के बजाय पीसीएन माना गया था।

न. इस्पात की गुणवत्ता के आधार पर तब पीसीएन की कोई आवश्यकता नहीं होती, जब इस्पात की गुणवत्ता के आधार पर लागत और कीमत में काफी अंतर के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाए।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में अनुरोध किए हैं। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जाँच की है।

8. जिन उत्पादों के लिए आयातकों ने बाहर करने की माँग की है, वे निम्नलिखित हैं:

- मिश्र धातु इस्पात हॉट रोल्ड कॉइल
- 600 एमएम और उससे कम चौड़ाई वाले मिश्र धातु/गैर-मिश्र धातु कॉइल
- 1600 एमएम से अधिक चौड़ाई वाले मिश्र धातु/गैर-मिश्र धातु कॉइल
- 0.25% से अधिक कार्बन वाले गैर-मिश्र धातु कॉइल
- 800 एमएम से कम चौड़ाई वाले गैर-मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद
- लंबाई में कटे हुए कॉइल
- पिक्ल्ड कॉइल या ऑइल्ड कॉइल

9. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने केवल इस आधार पर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से व्यापक रेंज को बाहर करने का दावा किया है कि इन उत्पादों का जांच की अवधि के दौरान वियतनाम से भारत में आयात नहीं किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा नहीं किया है कि जिन उत्पादों को बाहर किया जाना है, उनका उत्पादन भारत में घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क नहीं दिया है कि जिन उत्पादों को बाहर किया जाना है, उनका उत्पादन वियतनाम में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बाहर किए जाने वाले उत्पाद पूरी तरह से अलग उत्पाद श्रेणी के नहीं हैं, बल्कि उनमें केवल मामूली संशोधन या प्रक्रिया जैसे स्लिटिंग या कुछ तत्वों का जोड़ शामिल है। बाहर किए जाने वाले उत्पादों का कोई विशिष्ट अंतिम प्रयोग भी नहीं है जो अन्य उत्पाद प्रकारों से अलग पहचाना जा सके और तदनुसार, उन्हें अन्य उत्पाद प्रकारों से आसानी से प्रतिस्थापित भी किया जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि इस जांच के अनुसरण में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाती है और लगाया जाता है, तो इन उत्पाद प्रकारों को बाहर करने से पाटनरोधी शुल्क की आसानी से प्रवंचना हो सकती है।

10. आयातकों का यह दावा कि वियतनाम से मिश्र धातु इस्पात हॉट रोल्ड कॉइल का आयात नहीं किया गया है, किसी भी साक्ष्य से सिद्ध नहीं है। साथ ही, प्राधिकारी ने नोट किया है कि क्षति जाँच अवधि के दौरान मिश्र धातु इस्पात उत्पाद वास्तव में वियतनाम से आयात किए गए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध जाँच में पंजीकृत किसी भी आयातक ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर ('आईक्यूआर') दायर नहीं किया है। किसी भी आयातक द्वारा आईक्यूआर दायर न किए जाने के कारण, प्राधिकारी आयातकों के इस दावे की पुष्टि करने में असमर्थ है कि उनके द्वारा वियतनाम से मिश्र धातु इस्पात हॉट रोल्ड कॉइल का आयात नहीं किया गया है।

11. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के तहत मिश्र धातु इस्पात की परिभाषा के अनुसार, बोरॉन, क्रोमियम, कोबाल्ट आदि जैसे मिश्र धातु तत्वों की थोड़ी सी भी मिलावट से इस्पात को मिश्र धातु इस्पात के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, 0.0008% बोरॉन मिलाने पर, इस्पात को मिश्र धातु इस्पात के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह सर्वविदित है कि 0.0008% बोरॉन मिलाना कोई महत्वपूर्ण प्रक्रिया नहीं है और इससे इस्पात की विशेषताओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं आएगा और यदि मिश्र धातु इस्पात को हटा दिया जाए, तो ऐसे मिश्र धातु इस्पात का उपयोग पाटनरोधी शुल्क से बचने के लिए आसानी से किया जा सकता है।

12. यह सर्वविदित है कि इस्पात उत्पादों के मामले में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को एक विशेष चौड़ाई तक सीमित करने से शुल्क की प्रवंचना आसानी से हो सकती है। निर्यातकों के लिए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखे गए अधिक चौड़ाई वाले उत्पाद का निर्यात करना आसान होगा और फिर भारत में आयातक ऐसे उत्पाद को छोटी चौड़ाई में बदलने के लिए छोटे-मोटे प्रचालन कर सकते हैं, जो इच्छित प्रयोग के लिए आवश्यक है। व्यापार पैटर्न में इस तरह के बदलाव, जिससे पाटनरोधी शुल्क अप्रभावी हो जाता है, इस्पात उत्पादों के मामले में पहले भी देखे गए हैं, जब विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र चौड़ाई के आधार पर सीमित था।

13. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी आयातित एचआर स्टील कॉइल को उपयोग से पहले लंबाई में काटा जाएगा। अत:, लंबाई में काटे गए कॉइल को अलग उत्पाद प्रकार नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार, पिकलिंग, ऑइलिंग जंग, अशुद्धियों,

स्केल आदि को रोकने के लिए छोटे उपचार/प्रक्रियाएँ हैं। इससे भी अलग उत्पाद प्रकार नहीं बनता है। 0.25% से अधिक कार्बन वाले गैर-मिश्र धातु कॉइल के संबंध में, एक निश्चित सीमा से अधिक कार्बन का योग एक भौतिक रूप से स्पष्ट पहलू या एक विशिष्ट तत्व नहीं है जो इसे अलग उत्पाद प्रकार के रूप में चिह्नित करता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है और 0.25% से अधिक कार्बन वाले गैर-मिश्र धातु कॉइल के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों या उपयोगों को नहीं दर्शाया है।

14. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में समान वस्तु की परिभाषा इस प्रकार दी गई है:

> *"समान वस्तु" का अर्थ है ऐसी वस्तु जो भारत में पाटित होने के कारण जांचाधीन वस्तु के सभी पहलुओं से समरूप या समान हो, या ऐसी वस्तु के अभाव में, कोई अन्य वस्तु जो यद्यपि सभी पहलुओं से समान न हो, परंतु उसकी विशेषताएँ जांचाधीन वस्तुओं से काफी मिलती-जुलती हों।*

15. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद, भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित सामान नियमों के अनुसार समान वस्तुएँ हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के क्षेत्र और अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं।

16. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र और पीसीएन पद्धति वही है जो दिनांक 19 नवंबर, 2024 की सूचना द्वारा निर्धारित की गई थी और जांच की शुरुआत की अधिसूचना में नोट की गई थी। विचाराधीन उत्पाद क्षेत्र और पीसीएन पद्धि नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है:

"3. संबद्ध जांच में विचाराधीन उत्पाद "मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद हैं, जो 25 एमएम तक की मोटाई और 2100 एमएम तक की चौड़ाई के, आवरण रहित, प्लेटेड या कोटेड नहीं हैं"।

4. पीयूसी में ऐसे उत्पाद शामिल हैं जो हॉट रोल्ड से आगे संसाधित नहीं किए गए हैं और मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के फ्लैट उत्पाद हैं, प्राइम या नॉन-प्राइम स्थिति में जिनमें 'ऐज-रोल्ड' किनारा या 'ट्रिम्ड' किनारा या 'स्लिट' किनारा या 'मिल्ड' किनारा या 'शियर्ड' किनारा या 'लेजर-कट' किनारा या 'गैस-कट' किनारा या किसी अन्य प्रकार का किनारा होता है। ये उत्पाद पिकल्ड या नॉन-पिकल्ड (स्किन-पास या टेम्परिंग के साथ या बिना), स्लिट या नॉन-स्लिट, सामान्यीकृत या गैर-सामान्यीकृत, अल्ट्रा-सोनिक रूप से परीक्षित या अपरीक्षित, तेलयुक्त या गैर-तेलयुक्त आदि हो सकते हैं। ये उत्पाद 'ऐज-रोल्ड' हो सकते हैं। या 'थर्मो-मैकेनिकल रूप से रोल्ड' या 'थर्मो-मैकेनिकल रूप से नियंत्रित रोल्ड' या 'नियंत्रित रोल्ड' या 'सामान्यीकृत रोल्ड' या 'सामान्यीकृत' या किसी अन्य समान प्रक्रिया के अधीन हो सकते है। इन उत्पादों को विभिन्न प्ररूपांतर चरणों जैसे पिकलिंग, ऑइलिंग, रीवाइंडिंग, रीकॉइलिंग, टेम्पर रोलिंग, हीट ट्रीटमेंट आदि के अधीन किया गया हो सकता है। इन उत्पादों को सैंड ब्लास्ट या शॉट ब्लास्ट किया जा सकता है या इसी तरह की प्रक्रियाओं के अधीन किया जा सकता है। पीयूसी में कॉइल में हॉट-रोल्ड फ्लैट उत्पाद और लंबाई में कटौती शामिल है।

5. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग ऑटोमोटिव, तेल और गैस लाइन पाइप/अन्वेषण, कोल्ड रोल्ड स्टील उत्पाद, पाइप निर्माण, सामान्य इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन, निर्माण, पूंजीगत वस्तुओं, सीमेंट, उर्वरक, रिफाइनरियों, अर्थ-मूविंग आदि के लिए प्रक्रिया उपकरण में किया जाता है।

6. विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क शीर्ष 7208, 7211, 7225 और 7226 के तहत यह विचाराधीन उत्पाद वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

7. विचाराधीन उत्पाद में स्टेनलेस स्टील के हॉट-रोल्ड फ्लैट उत्पाद शामिल नहीं हैं।

प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार करने के बाद 19 नवंबर 2024 की अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित पीसीएन पद्धति अधिसूचित की:

संबद्ध सामानों के लिए पीसीएन				
क्र.सं.	**विशेषताएँ**	**अंकों की संख्या**	**विवरण**	**कोड**
1	उत्पाद का प्रकार	*1*	मिश्र धातु	ए
			गैर-मिश्र धातु	एन
2	मोटाई	*1*	5 एमएम तक और उसके सहित	सी
			5 एमएम से अधिक और 25 एमएम तक	डी
3	चौड़ाई	*1*	1500 एमएम तक और उसके सहित	यू
			1500 एमएम से अधिक और 2100 एमएम तक	एम

घ. <u>घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार</u>

घ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

17. घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. कुल भारतीय उत्पादन में आवेदक उद्योग का हिस्सा 40 से 50 प्रतिशत के बीच है। आवेदकों द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत निर्धारित अधिकतर समर्थन की सीमा पूरी नहीं की गई है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

18. घरेलू उद्योग ने, घरेलू उद्योग और उसके आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. वर्तमान मामले में आवेदन-पत्र घरेलू उत्पादकों, अर्थात् जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड ("जेएसडब्ल्यू स्टील") और आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड ("एएमएनएस इंडिया") की ओर से इंडियन स्टील एसोसिएशन ("आईएसए") द्वारा दायर किया गया है।

ख. वर्तमान आवेदन-पत्र का समर्थन निम्नलिखित भारतीय उत्पादकों द्वारा किया गया है:

क) टाटा स्टील लिमिटेड
ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
ग) जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड
घ) भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड

ग. भारतीय उत्पादन में आवेदक कंपनियों की हिस्सेदारी 40-50% के बीच है। भारतीय उत्पादन में समर्थकों सहित घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी 80-90% है।

घ. इस दावे का समर्थन करने का कोई कानूनी आधार नहीं है कि कुल उत्पादन में आवेदक कंपनियों की 40-50% हिस्सेदारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार प्रमुख अनुपात नहीं हो सकता। पाटनरोधी नियमों के नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार, आवेदक

कंपनियों के पास कुल उत्पादन में 'प्रमुख' हिस्सेदारी होनी चाहिए, ऐसी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है।

ड. प्राधिकारी ने लगातार यह पाया है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार 50% से अधिक को प्रमुख अनुपात मानने की कोई स्पष्ट आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित *मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के वायर रॉड* के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में, प्राधिकारी ने पाया कि प्रमुख अनुपात रखने के लिए आवेदकों के लिए कुल घरेलू उत्पादन का 50% या उससे अधिक हिस्सा होना आवश्यक नहीं है।

च. विश्व व्यापार संगठन पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 4 में घरेलू उद्योग की परिभाषा दी गई है। पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) विश्व व्यापार संगठन पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 4.1 के समान है। *अर्जेंटीना - पोल्ट्री पाटनरोधी शुल्क* पैनल ने डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 4.1 के संबंध में पाया कि कुल घरेलू उत्पादन के एक प्रमुख, गंभीर या प्रमुख अनुपात के घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग के रूप में माना जा सकता है और यह प्रमुख अनुपात होना जरूरी नहीं है।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

19. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

"(ख) घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

20. वर्तमान मामले में आवेदन-पत्र घरेलू उत्पादकों, अर्थात् जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड ("जेएसडब्ल्यू स्टील") और आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड ("एएमएनएस इंडिया") की ओर से इंडियन स्टील एसोसिएशन (“आईएसए”) द्वारा दायर किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उत्पादन में आवेदक कंपनियों की हिस्सेदारी 40-50% के बीच है। भारतीय उत्पादन में समर्थकों सहित घरेलू उद्योग का हिस्सा 80-90% है।

21. वर्तमान आवेदन-पत्र का निम्नलिखित भारतीय उत्पादकों द्वारा समर्थन किया गया है:

ड.) टाटा स्टील लिमिटेड
च) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
छ) जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड
ज) भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी आवेदक कंपनी ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, कोई भी आवेदक वियतनाम से संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से संबद्ध नहीं है।

23. इस अनुरोध के संबंध में कि 50% को प्रमुख अनुपात माना जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2(ख) के अनुसार प्रमुख अनुपात का अर्थ महत्वपूर्ण, गंभीर या महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रकार, प्रमुख अनुपात को गणितीय गणना नहीं माना जा सकता। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण ने *लुब्रीज़ोल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2005 (187) ई.एल.टी. 402 (ट्राई-डेल)]* के मामले में यह माना कि प्रमुख अनुपात बनाने के लिए, 50% से अधिक होना आवश्यक नहीं है।

> *15.1 यहाँ हम नोट करते हैं कि नियम 2(ख) में 'घरेलू उद्योग' को परिभाषित करने वाले "कुल उत्पादन का बड़ा हिस्सा" शब्दों का अर्थ कुल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा या महत्त्वपूर्ण भाग भी लगाया जा सकता है, जो आवश्यक रूप से 50% से अधिक नहीं हो सकता। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी*

के अनुसार, "प्रमुख हिस्सा" शब्द का अर्थ "महत्वपूर्ण, गंभीर या सार्थक" है। इस संदर्भ में, "अनुपात" शब्द का अर्थ हिस्सा होगा। इसलिए, घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन के संदर्भ में, "प्रमुख हिस्सा" शब्द का अर्थ महत्वपूर्ण या प्रमुख हिस्सा होगा। ऐसी व्याख्या स्पष्ट रूप से स्वीकार्य है और इसके अनुसार, ***कुल घरेलू उत्पादन में याचिकाकर्ता का हिस्सा, जो 31% से अधिक है, निस्संदेह एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, अर्थात उसका एक प्रमुख अनुपात था। "कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख अनुपात" शब्दों को किसी समग्र के विभिन्न भागों के तुलनात्मक माप या आकार से संबंधित गणितीय योग को हल करने के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता।*** *यह वाक्यांश घरेलू उत्पादकों के उत्पादन के संदर्भ में प्रयुक्त होता है और इसकी व्यापक व्याख्या की जा सकती है ताकि इसके व्यापक सामूहिक अर्थ को शामिल किया जा सके। उत्पादन जो विनिर्माण में लगे उत्पादकों या ऐसे उत्पाद के विनिर्माण से जुड़ी किसी भी गतिविधि में लगे उत्पादकों द्वारा वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक महत्वपूर्ण या प्रमुख हिस्सा बनता है, जैसा कि नियम 2(ख) में निर्धारित है..."*

24. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी की एक सतत परिपाटी है कि बड़े अनुपात को एक प्रमुख अनुपात के रूप में माना जाता है, न कि केवल उत्पादकों को जो कुल घरेलू उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा बनाते हैं।

25. अत:, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कुल घरेलू उत्पादन में 40-50% हिस्सेदारी बनाने वाली आवेदक कंपनियां नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग हैं, और यह कि आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

ड. <u>गोपनीयता</u>

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

26 गोपनीयता के दावों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. आवेदक ने व्यापार सूचना संख्या 10/2018 दिनांक 7.09.2018 के विशिष्ट प्रावधानों का उल्लंघन किया है, क्योंकि उन्होंने विनिर्माण प्रक्रिया, प्रमुख कच्चे माल का नाम, सदस्यों की सूची, समर्थकों (क्षमता, उत्पादन, बिक्री) के अनुक्रमित विवरण, प्रभाव कार्य, वियतनाम में क्षमता के साक्ष्य आदि जैसी मूलभूत सूचना को गोपनीय बताया है।

ख. पाटनरोधी नियमावली का नियम 7 आवेदक पर पर्याप्त विवरण में सारांश प्रस्तुत करने की ज़िम्मेदारी डालता है ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके।

ग. आवेदक उद्योग ने आयात सांख्यिकी और क्षति विश्लेषण के आधार के रूप में प्रयुक्त् आंकड़ा स्रोत का नाम भी प्रकट न करके अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

घ. फॉर्मोसा हा तिन्ह स्टील कॉर्पोरेशन (एफएचएस) ने व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार, अगोपनीय रूपांतर में रुझानों के रूप में परिशिष्ट 1 में संगत आंकड़े प्रदान किए हैं।

ङ. एफएचएस की वेबसाइट में उल्लेख है कि वह हॉट रोल्ड कॉइल और वायर रॉड का उत्पादन करती है और इसमें इसकी विनिर्माण प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों का एक सामान्य अवलोकन भी शामिल है। इसमें जांच की अवधि के दौरान उत्पादित या बेचे गए उत्पादों की वास्तविक मात्रा, उत्पाद ग्रेड, विनिर्देशों या लेनदेन-स्तरीय विवरण के बारे में कोई विशिष्ट आंकड़े नहीं दिए है।

च. जेएफई को मुख्य निवेशक के रूप में सूचीबद्ध करने से यह इस जांच को नियंत्रित करने वाले लागू कानूनी ढांचे के तहत "संबंधित पक्ष" नहीं बन जाता है। इसके अलावा, जेएफई व्यापार सूचना 09/2018 के तहत "संबंधित पक्ष" के रूप में पात्र नहीं है, जिसमें सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित सामानों के मूल्यों का निर्धारण) नियमावली, 2007 के नियम 2(2)(iv) के तहत मानदंड शामिल हैं। जेएफई के पास एफएचएस में 5% से कम शेयर हैं और इसलिए, यह संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत संबंधित पक्ष के रूप में माने जाने की सीमा को पूरा नहीं करता है।

छ. कच्चे माल के मूल देश का खुलासा, जब अन्य उत्पादन-संबंधी आंकड़ों के साथ किया जाता है, तो यह वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना बन जाती है।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

27. गोपनीयता के दावों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. हितबद्ध पक्षकारों ने अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में देर से दावा किया है। जांच की शुरुआत की सूचना में हितबद्ध पक्षकारों को अत्यधिक गोपनीयता पर टिप्पणी देने के लिए 7 दिनों का समय दिया गया था।

ख. घरेलू उद्योग ने सूचना की अत्यधिक गोपनीयता का दावा नहीं किया है और याचिका के अगोपनीय रूपांतर में पर्याप्त सूचना का खुलासा किया है जिससे प्रस्तुति के गोपनीय रूपांतर में निहित सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। आवेदक ने सूचना की गोपनीयता के अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए उचित कारण भी प्रस्तुत किए हैं।

ग. घरेलू उद्योग ने बाजार आसूचना से आयात आंकड़े प्राप्त किए हैं और उसके पास आधिकारिक डीजीसीआईएंडएस आयात आंकड़े या डीजी सिस्टम के आयात आंकड़ों तक पहुँच नहीं है।

घ. एफएचएस ने जांच अवधि के दौरान कंपनी द्वारा उत्पादित और/या बेचे गए सभी उत्पादों का विवरण प्रकट नहीं किया है, भले ही सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ङ. एफएचएस ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत में समायोजन के नामों का खुलासा नहीं किया है।

च. एफएचएस ने विचाराधीन के उत्पादन में प्रयुक्त आयातित कच्ची सामग्री के मूल देश का प्रकटन नहीं किया है।

छ. होआ फाट डुंग क्वाट स्टील जेएससी (होआ फाट) ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन/बिक्री/खरीद में शामिल संबंधित पक्षकारों के बारे में वास्तविक सूचना का खुलासा नहीं किया है।

ज. होआ फाट ने भारत में घरेलू बिक्री और निर्यात के लिए विपणन/वितरण चैनल का खुलासा नहीं किया है।

झ. होआ फाट ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख कच्ची सामग्री और आयातित कच्ची सामग्री के मूल देश के नामों का प्रकटन नहीं किया है।

ञ.. होआ फाट ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत में समायोजन के नामों का खुलासा नहीं किया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर विभिन्न पक्षकारों के बीच ई-मेल संचार के माध्यम से निरीक्षण हेतु सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया।

29. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली,1995 के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का

सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

30. घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोधों की, जहाँ तक संगत मानी गई सीमा तक, प्राधिकारी द्वारा जाँच की गई थी और तदनुसार उनका समाधान किया गया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में विधिवत जाँच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहाँ कहीं भी आवश्यक था, स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहाँ तक संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय बताया है।

च. <u>विविध</u>

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

31. विविध मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

क. गौण स्रोतों से प्राप्त आँकड़े प्रामाणिक और विश्वसनीय नहीं हैं। प्राधिकारी को वर्तमान जाँच में आयातों की जाँच के लिए डीजी सिस्टम के आँकड़े जाँच शुरू करते समय ही माँगने चाहिए थे।

ख. रक्षोपाय और पाटनरोधी दोनों उपायों का उद्देश्य घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का समाधान करना है। यद्यपि सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(7) पाटनरोधी और रक्षोपाय शुल्कों को एक साथ लागू करने की अनुमति देती है, फिर भी इस बात के स्पष्ट और पुष्ट प्रमाण के बिना कि जिन क्षतियों का समाधान किया जा रहा है वे अलग और विशिष्ट हैं, ऐसा एक साथ लागू करने से निर्यातकों पर संचयी दंडात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पाटनरोधी शुल्कों और रक्षोपाय उपायों का एक साथ लागू होना एक "दोहरा उपाय" है जो पाटनरोधी करार के तहत भारत के संचयी दायित्वों का उल्लंघन करता है क्योंकि काफी हद तक, रक्षोपाय शुल्कों द्वारा दूर की जाने वाली व्यापक क्षति, पाटनरोधी शुल्कों द्वारा दूर की जाने वाली व्यापक क्षति के समान है। दोहरे उपचार के विरुद्ध निषेध प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार (जीएटीटी) 1947 के अनुच्छेद VI:5 में भी अभिव्यक्त होता है, जिसमें यह उल्लेख है कि किसी भी उत्पाद पर पाटन या सब्सिडी के एक ही उदाहरण की क्षतिपूर्ति के लिए पाटनरोधी और प्रतिपूरक शुल्क दोनों लागू नहीं होंगे।

ग. पाटनरोधी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क, सामान्य सीमा शुल्कों के विपरीत, लगभग समान निष्कर्षों के आधार पर लगाए जाते हैं कि आयातित उत्पाद के कारण किसी घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है या क्षति का खतरा है।

घ. आवेदक ने वियतनाम के मूल के हॉट रोल्ड कॉइल्स पर अन्य देशों, विशेष रूप से यूरोपीय संघ और थाईलैंड द्वारा लगाए गए पाटनरोधी उपायों का उल्लेख किया है। यह अनुरोध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि पाटनरोधी निर्धारण स्वाभाविक रूप से क्षेत्राधिकार-विशिष्ट होते हैं, जो संबद्ध देश के राष्ट्रीय प्राधिकारी की विशिष्ट बाजार गतिशीलता, लागत संरचनाओं, खपत प्रवृत्तियों और क्षति सीमा पर आधारित होते हैं।

ड. चीन जन.गण., जापान, कोरिया गणराज्य, रूस, ब्राज़ील और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों" के आयात के विरुद्ध पूर्व में पाटनरोधी जाँच की

गई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि एक वैश्विक रक्षोपाय जाँच भी प्रक्रियाधीन है। ये तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि आवेदक उद्योग व्यापार सुधारात्मक उपायों का दुरुपयोग कर रहा है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

32. विविध मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. प्राधिकारी ने संबद्ध जाँच शुरू करते समय डीजी सिस्टम से आयात के आंकड़ों पर पहले ही विचार कर लिया है। प्राधिकारी ने अपनी प्रारंभिक जांच की शुरुआत की अधिसूचना में भी डीजी सिस्टम के आंकड़ों को अपनाने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है।

ख. प्राधिकारी ने 19 दिसंबर 2024 को गैर-मिश्र धातु और मिश्र धातु इस्पात फ्लैट उत्पादों के आयात पर एक रक्षोपाय जाँच शुरू की, जो वर्तमान में जारी है। प्राधिकारी ने 18 मार्च 2025 के अपने प्रारंभिक जांच परिणामों के अनुसार वर्तमान पाटनरोधी जाँच के विचाराधीन उत्पाद सहित गैर-मिश्र धातु और मिश्र धातु इस्पात फ्लैट उत्पादों के आयात पर अनंतिम रक्षोपाय उपाय लागू करने की सिफारिश की है।

ग. प्राधिकारी ने रक्षोपाय जाँच में जाँच की अवधि 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक और पिछले तीन वर्षों 2021-22, 2022-23 और 2023-24 को अपनाया है।

घ. भारत में विचाराधीन उत्पाद मुख्य रूप से 4 देशों अर्थात वियतनाम, कोरिया गणराज्य, जापान और चीन जन.गण. से आयात किया जाता है। जब जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 को प्रस्तावित जांच अवधि मानते हुए पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए अप्रैल 2024 में वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र दायर किया गया था, तो वियतनाम से आयात सबसे कम कीमतों पर था और अन्य देशों से आयात अपेक्षाकृत अधिक कीमतों पर था। मार्च 2024 के बाद, अन्य 3 देशों से भी आयात कम कीमतों पर होने लगा। इस प्रकार, विचाराधीन उत्पाद के साथ अन्य गैर-मिश्र धातु और

मिश्र धातु इस्पात फ्लैट उत्पादों के आयात पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए आवेदन-पत्र दायर किया गया था।

ड. पाटनरोधी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क को एक साथ लगाने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। भारत में निम्नलिखित जांचों में, पाटनरोधी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क एक साथ लगाए गए थे:

- *ऑस्ट्रेलिया, चीन जन.गण., ईरान, मलेशिया, रूस और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक' के आयात से संबंधित दिनांक 28 जनवरी 2010 की पाटनरोधी जांच के अनुसरण में पाटनरोधी शुल्क और दिनांक 20 दिसंबर 2012 की अधिसूचना द्वारा कार्बन ब्लैक पर रक्षोपाय शुल्क।*
- *दिनांक 10 अप्रैल 2017 की "कॉइल में नहीं बने मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के हॉट-रोल्ड फ्लैट उत्पादों (आमतौर पर शीट और प्लेट के रूप में जाना जाता है)" के आयात पर पाटनरोधी जांच के अनुसरण में पाटनरोधी शुल्क और दिनांक 23 नवंबर 2016 की अधिसूचना द्वारा 150 एमएम से कम या उसके बराबर नाममात्र मोटाई और 600 मिमी एमएम से अधिक या उसके बराबर नाममात्र चौड़ाई वाले मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट शीट और प्लेटों (कॉइल रूप में हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों को छोड़कर) पर रक्षोपाय शुल्क (यह 22 मई 2019 तक लागू था)।*

च. अन्य क्षेत्राधिकार भी रक्षोपाय शुल्क और पाटनरोधी शुल्क एक साथ लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ के विनियमन 2015/477 में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि यूरोपीय संघ समायोजन करने के बाद रक्षोपाय उपायों के साथ पाटनरोधी या सब्सिडीरोधी उपायों को एक साथ लागू कर सकता है। यूरोपीय संघ ने विनियमन (ईयू) 2015/477 में उल्लिखित सिद्धांतों को विनियमन (ईयू) 2019/1382 में लागू किया था जब यूरोपीय संघ ने 1 फरवरी 2019 को कुछ इस्पात उत्पादों के संबंध में निश्चित

रक्षोपाय लागू किए थे। इसके अलावा, उत्पादों की एक उदाहरणात्मक सूची, जिस पर यूरोपीय संघ में रक्षोपाय शुल्क और पाटनरोधी शुल्क दोनों लागू थे, में कुछ संक्षारण प्रतिरोधी स्टील, कुछ कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पाद, लोहे के कुछ हॉट-रोल्ड फ्लैट उत्पाद आदि शामिल हैं। वास्तव में यूरोपीय संघ भारत, मिस्र, वियतनाम और जापान से लोहे के हॉट रोल्ड उत्पादों, गैर मिश्र धातु अथवा अन्य मिश्र धातु इस्पात के आयातों पर इस समय पाटनरोधी जांच कर रहा है। यहां तक कि यद्यपि रक्षोपाय शुल्क उन पर लागू हैं। अन्य क्षेत्राधिकारों में ऐसे कई अन्य उदाहरण हैं जहां पाटनरोधी शुल्क/प्रतिपूरक शुल्क और रक्षोपाय शुल्क दोनों एक साथ लगाए गए हैं।

छ. आवेदक नोट करता है कि रक्षोपाय उपाय और पाटनरोधी शुल्क तुलनीय नहीं हैं जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

पाटनरोधी शुल्क/जांच	**रक्षोपाय शुल्क/जांच**
पाटनरोधी शुल्क विशेष रूप से अनुचित व्यापार परिपाटी अर्थात पाटन का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया एक उपाय है, जहाँ निर्यातक सामान्य मूल्य से कम पर बेचते हैं, जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होती है।	रक्षोपाय उपाय अचानक और अप्रत्याशित आयात वृद्धि से निपटने के लिए हैं जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होती है।
पाटनरोधी जाँच केवल विशिष्ट देश/देशों से आयात के विरुद्ध होती है।	रक्षोपाय जाँच सभी देशों से आयात के विरुद्ध है।
पाटनरोधी जाँच विचाराधीन उत्पाद/संबद्ध सामानों के आयात के विरुद्ध होती है।	रक्षोपाय जाँच सभी गैर-मिश्र धातु और मिश्र धातु इस्पात फ्लैट उत्पादों के आयात के विरुद्ध है।
पाटनरोधी शुल्क, पाटित आयातों के कारण होने वाली लगातार मूल्य	रक्षोपाय शुल्क केवल एक अस्थायी उपाय है जो

विकृतियों के प्रभाव को बेअसर करके दीर्घकालिक अनुशासन (5 वर्ष और आगे बढ़ाया जा सकता है) सुनिश्चित करता है।	अल्प/मध्यम अवधि के लिए लगाया जाता है।
पाटनरोधी शुल्क निर्यातक-विशिष्ट होता है, अर्थात यह संबद्ध देश के विभिन्न उत्पादकों/निर्यातकों के लिए उनके द्वारा पाटन और/या क्षतिकारक निर्यातों के स्तर पर निर्भर रहते हुए संबद्ध देश से विभिन्न उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अलग-अलग होगा।	रक्षोपाय शुल्क किसी निर्यातक या देश विशेष के लिए नहीं है। यह सभी देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए समान है।

ज. यदि पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो पाटन परिपाटियों में लगे हुए निर्यातक अपनी अनुचित कीमत निर्धारण परिपाटियों को जारी रख सकते हैं, जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान होगा। इस प्रकार, रक्षोपाय उपायों की प्रयोज्यता पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता को समाप्त नहीं करेगी। साथ ही, प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क से रक्षोपाय शुल्क को समायोजित करेंगे ताकि घरेलू उद्योग के लिए दोहरे उपाय का कोई प्रश्न नहीं उठेगा।

झ. चीन जन.गण. और जापान, कोरिया गणराज्य, रूस, ब्राजील और इंडोनेशिया से "मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों" के आयात पर पाटनरोधी शुल्क मूल पाटनरोधी जांच के अनुसरण में 8 अगस्त 2016 को लगाया गया था और 15 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया। वित्त मंत्रालय द्वारा पाटनरोधी शुल्क को आगे की अवधि के लिए जारी नहीं रखा गया, भले ही प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क को आगे की अवधि के लिए जारी रखने की सिफारिश की थी। 15 दिसंबर 2021 से विचाराधीन उत्पादन के आयातों पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया है। साथ ही, वियतनाम से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर यह पहली पाटनरोधी

शुल्क जाँच है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क के अति प्रयोग या दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में, विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क के इतिहास की सावधानीपूर्वक समीक्षा से पता चलता है कि आवेदक ने विशिष्ट स्रोतों से विवेकपूर्ण तरीके से पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है और वह भी केवल तभी जब ऐसे शुल्क लगाने की वास्तव में आवश्यकता हो।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजी सिस्टम से क्षति अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों का लेन-देन-वार ब्यौरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। यह प्राधिकारी को प्राप्त हो गया था और जांच की शुरुआत के स्तर पर तथा वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के लिए भी उस पर विचार किया गया है।

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद भी रक्षोपाय जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में आता है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क दोनों को एक साथ लगाने की सिफारिश करने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि रक्षोपाय शुल्क सभी स्रोतों से आयातों पर संरक्षण प्रदान करता है। पाटनरोधी शुल्क विशिष्ट देश और विशिष्ट उत्पादकों/निर्यातकों के विरुद्ध एक व्यापार उपचारात्मक उपाय है जो पाटित और क्षतिकारक कीमत पर भारत को निर्यात करते हैं। रक्षोपाय शुल्क का उद्देश्य विशिष्ट देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पूर्ण रूप से निवारण करना नहीं है। साथ ही, रक्षोपाय शुल्क, जो एक अस्थायी उपाय है, के विपरीत, मूल जाँच के अनुसार 5 वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जा सकता है।

35. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि 'दोहरे उपाय' की चिंता उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि संबद्ध सामानों के आयात पर लागू किसी भी रक्षोपाय शुल्क को पाटनरोधी शुल्क, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क केवल उस सीमा तक लगाया जाएगा, जहाँ तक वह वियतनाम से आयात पर चुकाए गए रक्षोपाय शुल्क से अधिक हो।

छ. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

36. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. पाटनरोधी नियमावली का नियम 6(8) निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह अधिकार देता है कि जब कोई हितबद्ध पक्षकार संगत सूचना तक पहुँच से इनकार करता है या अन्यथा सहयोग करने में विफल रहता है, तो वह उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यह प्रावधान केवल उन्हीं मामलों में लागू होता है जहाँ हितबद्ध पक्षकार स्वयं असहयोगी हो।

ख. वर्तमान मामले में, फॉर्मोसा हा तिन्ह स्टील कॉर्पोरेशन (एफएचएस) ने पूर्ण सहयोग दिया है और अपने नियंत्रण में सभी सूचना प्रदान की है। इसलिए, असंबंधित तृतीय पक्षकारों की गैर-भागीदारी के कारण उसके अनुरोधों को नज़रअंदाज़ करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। अपने गोपनीय उत्तर में, एफएचएस ने परिशिष्ट 3ख के अंतर्गत उन संबद्ध और असंबद्ध दोनों निर्यातकों के बारे में विस्तृत खुलासे शामिल किए हैं जिन्होंने अंततः भारतीय ग्राहकों को संबद्ध सामान बेचा होगा।

ग. एफएचएस ने असंबद्ध व्यापारियों को जाँच में भाग लेने के लिए सूचित करने और प्रोत्साहित करने के सभी उचित प्रयास किए हैं। तथापि, ये कंपनियां स्वतंत्र और स्वायत्त रूप से प्रचालन करती हैं। एफएचएस के पास उन्हें भाग लेने के लिए बाध्य करने का कोई कानूनी या संविदात्मक अधिकार नहीं है। चूँकि ये व्यापारी असंबद्ध हैं, इसलिए एफएचएस को सहयोग न करने के उनके निर्णय के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। एफएचएस को उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के लिए दंडित करना अन्यायपूर्ण और निष्पक्षता एवं उचित प्रक्रिया के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत होगा।

घ. निर्दिष्ट प्राधिकारी, एक सहयोगी हितबद्ध पक्षकार के रूप में, एफएचएस द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर उसके लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त है।

ङ. भारत को निर्यात के संबंध में, एफएचएस ने स्पष्ट किया है कि बिक्री असंबद्ध व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से की जाती है जो भारतीय ग्राहकों के साथ अंतिम कीमतों पर स्वतंत्र रूप से बातचीत करती हैं। इसके विपरीत, वियतनाम में एफएचएस की घरेलू बिक्री मुख्य रूप से प्रसंस्करण क्षमताओं वाले अंतिम ग्राहकों को सीधे की जाती है।

च. होआ फाट द्वारा भारतीय ग्राहकों को महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मात्रा में निर्यात किया गया था। इसे किसी भी परिमाण से नगण्य नहीं माना जा सकता। बिना किसी पूर्वाग्रह के, यह अनुरोध है कि नई पाटनरोधी जाँचों की अधिकता में, प्राधिकारी ने क्षति मार्जिन, पाटन मार्जिन और शुल्क के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कम मात्रा पर भी विचार किया है, क्योंकि कानून यह निर्धारित करने के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं करता है कि विशेष आयात कम हैं या नहीं। कुछ मामले इस प्रकार हैं:

क. प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीन
ख. वेनीर्ड इंजीनियर्ड वुडन फ़्लोरिंग
ग. अमोनियम नाइट्रेट
घ. सोडियम साइनाइड
ङ. कैप्रोलैक्टम

छ. कंपनी ने कानून की अपेक्षाओं का पालन करते हुए भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। कंपनी द्वारा किए गए निर्यात की आयात आंकड़ों से जाँच की जा सकती है।

ज. निर्यात की मात्रा केवल नए शिपर की जाँच के मामले में ही देखी जानी है ताकि हेरफेर की संभावना से बचा जा सके। यह अनुरोध है कि आवेदक उद्योग ने अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए किसी कानून का उल्लेख नहीं किया है।

झ. आवेदक उद्योग ने ऐसा कोई कानून नहीं दिया है जिसके तहत अग्रिम प्राधिकारी या ऐसी योजनाओं के तहत भारत में किए गए आयात, जहाँ बीआईएस लाइसेंस से छूट है, की अनदेखी की जानी अपेक्षित हो। आवेदक उद्योग ने एक गैरकानूनी, अवैध और अतार्किक अनुरोध किया है। माननीय प्राधिकारी अनिवार्य रूप से क्षति के निर्धारण के साथ-साथ पाटन विश्लेषण के लिए भारत में कुल आयात पर विचार करते हैं। प्राधिकारी का ध्यान निम्नलिखित तथ्यों की ओर आकृष्ट किया जाता है:

क) अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत किए गए आयातों और घरेलू स्तर पर उत्पादित सामानों के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा होती है।

ख) अग्रिम प्राधिकार या विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)/100% ईओयू में स्थित आयातक द्वारा किए गए आयातों को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में स्थित ग्राहक को बेचा जा सकता है।

ग) अग्रिम प्राधिकार/विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)/100% ईओयू आयात लेनदेन पर हमेशा डंपिंग-रोधी जाँच में विचार किया जाता है।

घ) प्राधिकारी ने कई पाटनरोधी जाँचों में लगातार विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और 100% ईओयू घरेलू उत्पादकों को पात्र आवेदक उद्योग माना है क्योंकि विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और ईओयू पाटनरोधी प्रयोजन से भारत के भाग हैं।

ङ) घरेलू उत्पादक भी अपने उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थित इकाइयों को बेचते हैं।

च) अग्रिम प्राधिकार या विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)/100% निर्यात-ईओयू में स्थित आयातक द्वारा किए गए आयातों को जाँच के क्षेत्र से बाहर रखने वाला पाटनरोधी कानून के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है।

छ) क्षति विश्लेषण के लिए माने गए भारत में किए गए कुल आयातों में अनिवार्य रूप से विशेष आर्थिक क्षेत्र में किए गए आयात भी शामिल हैं।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

37. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. यदि वियतनाम के उत्पादकों ने चीन जन.गण. से कच्ची सामग्री आयात की है, तो ऐसी कच्ची सामग्री के वास्तविक क्रय कीमत को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी द्वारा नहीं अपनाया जा सकता है। आवेदक समझता है कि वियतनाम के उत्पादकों ने चीन जन.गण. से धातुकर्म कोक का आयात किया है, जो कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए एक अनिवार्य कच्ची सामग्री है।

ख. *चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य और अमेरिका से रबर केमिकल पीएक्स-13 के संबंध में* 26 जुलाई 2021 को की गई पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणामों में, प्राधिकारी ने कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स के 4एडीपीए के वास्तविक आयात कीमत पर विचार करने के बजाय 4एडीपीए कर बाजार कीमत पर विचार किया था, क्योंकि चीन जन.गण. एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है और चीन जन.गण. से 4एडीपीए कर वास्तविक क्रय कीमत पीएक्स13 (6 पीपीडी) के उत्पादन से जुड़ी लागत को उचित रूप से नहीं दर्शाएगी। परिणामस्वरूप, कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स द्वारा रिपोर्ट किए गए 4-एडीपीए की खपत कीमत को उत्पादन लागत के निर्धारण के उद्देश्य से नहीं अपनाया गया का।

ग. *चीन जन.गण., मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 80 माइक्रोन और उससे कम आकार के एल्युमीनियम फॉयल के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में*, प्राधिकारी ने थाईलैंड में उत्पादक/निर्यातक द्वारा चीन जन.गण. से एल्युमीनियम फॉयल स्टॉक के वास्तविक आयात मूल्य को खारिज कर दिया। प्राधिकारी ने कच्चे माल की एलएमई कीमतों, संबंधित उत्पादक की रूपांतरण लागत और एसजीए तथा

उचित लाभ मार्जिन के आधार पर उत्पादक/निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया।

घ. जांच की अवधि के दौरान होआ फाट के पास वैध बीआईएस लाइसेंस नहीं था और इसलिए जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात नहीं किया जा सकता था। आवेदक प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे होआ फाट से इस तथ्य को सत्यापित करें। इसके मद्देनजर, आवेदक प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे होआ फाट द्वारा भारत को किए गए संबद्ध वस्तुओं के निर्यात की वैधता और वैधता को सत्यापित करें। यदि होआ फाट द्वारा किए गए निर्यात लागू गुणवत्ता नियंत्रण आदेश/बीआईएस विनियमों का उल्लंघन करते हैं, तो होआ फाट द्वारा किए गए ऐसे निर्यातों पर निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है।

ड. जांच की अवधि के दौरान होआ फाट द्वारा भारत को वैध निर्यात की स्थिति में, यह समझा जाता है कि अग्रिम प्राधिकारी या ऐसी अन्य योजना के अंतर्गत निर्यात मात्रा नगण्य होगी, जहाँ बीआईएस लाइसेंस से छूट प्राप्त है। ऐसी स्थिति में, घरेलू उद्योग नोट करता है कि होआ फाट द्वारा भारत को किए गए निर्यात व्यक्तिगत पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं।

च. फॉर्मोसा ने प्राधिकारी के पास परिशिष्ट 3ख दायर किया है, जिसका अर्थ है कि कंपनी द्वारा भारत को निर्यात संबद्ध/असंबद्ध व्यापारियों/निर्यातकों के माध्यम से किया जाता है।

तथापि, यह स्पष्ट है कि कंपनी के किसी भी संबंधित व्यापारी/निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर करके वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है।

छ. व्यापार सूचना 06/2021 दिनांक 29 जुलाई 2021 के तहत पाटनरोधी जांच में विदेशी उत्पादक(ओं) निर्यातक(ओं) के लिए निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली प्रारूप में प्रावधान है, *"...(v) जहां आपके द्वारा उत्पादित सामान किसी असंबद्ध निर्यातक के माध्यम से भारत में निर्यात किया जाता है, तो ऐसे असंबद्ध निर्यातक को प्रश्नावली के परिशिष्ट-5 के साथ भाग-I और II में*

उत्तर प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि कोई असंबद्ध निर्यातक सहयोग नहीं करता है और संगत सूचना नहीं देता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी संबंधित भाग लेने वाले उत्पादक(ओं)/निर्यातक(ओं) द्वारा प्रदान की गई सूचना की अनदेखी कर सकते हैं..."

ज. व्यापार उपचार जांच के लिए परिचालन परिपाटियो के डीजीटीआर मैनुअल में प्रावधान है कि मध्यस्थों को भारत में स्वतंत्र आयातक तक श्रृंखला को पूरा करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सभी संगत सूचना दायर करनी होगी।

झ प्राधिकारी की यह भी एक सतत परिपाटी है कि जिस उत्पादक का उत्पाद भारत को निर्यात किया जाता है, उसके प्रश्नावली के उत्तर को तब अस्वीकार कर दिया जाता है, जब भारत को निर्यात करने वाले व्यापारियों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर दायर करके जाँच में भाग नहीं लिया हो।

ञ. प्राधिकारी ने जाँच में मूल्य श्रृंखला से जुड़ी सभी कंपनियों के प्रश्नावली के उत्तरों को अस्वीकार कर दिया है, जबकि भारत को निर्यात करने वाले व्यापारियों की कोई भागीदारी नहीं थी। कुछ उदाहरणात्मक मामले इस प्रकार हैं:

- इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "अनकोटेड कॉपियर पेपर" के आयात के संबंध में पाटनरोधी शुल्क जाँच।
- इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर मूल के अथवा वहां से निर्यातित "अनकोटेड कॉपियर पेपर" के आयात के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।
- चीन जन.गण., सऊदी अरब और ताइवान के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "पेंटाएरिथ्रिटोल" के आयात पर पाटनरोधी जांच।

ट. एफएचएस के इस दावे के संबंध में कि भारत को उसके निर्यात एफओबी आधार पर हैं और घरेलू बिक्री अंतिम प्रयोक्ताओं को करखानागत आधार पर की जाती है और इसलिए निर्यात कीमत और घरेलू बिक्री व्यापार के

समान स्तर पर आधारित हैं जिससे किसी भी समायोजन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, आवेदक नोट करता है कि एफएचएस का दावा स्व-विरोधाभासी है। यदि भारत को निर्यात 'एफओबी' आधार पर है और घरेलू बिक्री अंतिम प्रयोक्ताओं को कारखानागत' आधार पर की जाती है, तो यह स्पष्ट है कि घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री व्यापार के समान स्तर पर नहीं हैं। इसे कारखानागत स्तर पर लाने के लिए पोर्ट हैंडलिंग शुल्क, अंतर्देशीय माल ढुलाई आदि के संबंध में समायोजन किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, पैकिंग लागत, बैंक शुल्क, क्रेडिट लागत, कमीशन, वेयरहाउसिंग व्यय (यदि कोई हो) आदि के संबंध में समायोजन कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए लागू होते हैं।यह समायोजन किसी भी तरह घरेलू बिक्री के लिए लागू नहीं हो सकते अथवा यहां तक कि ये समायोजन लागू होते हैं तो समायोजनों की राशि निश्चित रूप से अलग अलग होगी।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

38. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अभिप्राय निम्नलिखित है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप-धारा(6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

39. प्राधिकारी ने संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी थी, जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सूचना प्रदान करने की सलाह दी थी। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रश्नावली के उत्तर दायर करके जाँच में भाग लिया है:

i. फॉर्मोसा हा तिन्ह स्टील कॉर्पोरेशन
ii. होआ फाट डुंग क्वाट स्टील जेएससी
iii. जेएफई शोजी कॉर्पोरेशन, सिंगापुर

छ.3.1. वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

40. प्राधिकारी ने संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के साथ-साथ उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधियों को प्रश्नावली भेजी थी, जिसमें उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सूचना प्रदान करने की सलाह दी गई थी।

41. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर (i) फॉर्मोसा हा तिन्ह स्टील कॉर्पोरेशन और (ii) होआ फाट डुंग क्वाट स्टील जेएससी तथा इसके निर्यातक जेएफई शोजी कॉर्पोरेशन, सिंगापुर द्वारा दायर किए गए हैं।

<u>फॉर्मोसा हा तिन्ह स्टील कॉर्पोरेशन के लिए सामान्य मूल्य</u>

42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि फॉर्मोसा हा तिन्ह स्टील कॉर्पोरेशन ने प्रश्नावली का उत्तर दायर करके वर्तमान जाँच में भाग लिया है, फिर भी प्राधिकारी द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया है। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि मेसर्स फॉर्मोसा हा तिन्ह स्टील कॉर्पोरेशन ने कई व्यापारियों/निर्यातकों के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। जिन व्यापारियों/निर्यातकों के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया गया है, उन्होंने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है, और फॉर्मोसा हा तिन्ह स्टील कॉर्पोरेशन द्वारा भारत को उत्पादित संबद्ध सामानों के निर्यात में शामिल इन व्यापारियों/निर्यातकों द्वारा सहयोग न किए जाने के कारण, प्राधिकारी अपनी सतत् परिपाटी के अनुसार फॉर्मोसा हा तिन्ह स्टील कॉर्पोरेशन द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकार करते हैं। प्राधिकारी वियतनाम के अन्य सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की तरह फॉर्मोसा हा तिन्ह स्टील कॉर्पोरेशन के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्यवाही करते हैं।

<u>होआ फाट डुंग क्वाट स्टील जेएससी और जेएफई शोजी कॉर्पोरेशन, सिंगापुर के लिए सामान्य मूल्य</u>

43. उत्पादक ने जाँच अवधि के दौरान संबद्ध और असंबद्ध ग्राहकों को *** एमटी की कुल घरेलू बिक्री की सूचना दी है। उत्पादक ने अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य खर्चों के लिए समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने भारत को निर्यात किए गए उत्पाद के लिए साधारण व्यापार प्रक्रिया ("ओसीटी") परीक्षण किया है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि कुल घरेलू बिक्री का ***% से कम लाभ कमाने वाला पाया गया। इसलिए, सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने लाभदायक घरेलू बिक्री को सामान्य मूल्य के निर्धारण का आधार माना। अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य खर्चों के लिए समायोजन डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई हैं। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

<u>असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य</u>

44. वियतनाम के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

छ.3.1.क. वियतनाम के लिए निर्यात कीमत

<u>फॉर्मोसा हा तिन्ह स्टील कॉर्पोरेशन के लिए निर्यात कीमत</u>

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि फॉर्मोसा हा तिन्ह स्टील कॉर्पोरेशन ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करके वर्तमान जाँच में भाग लिया है, फिर भी ऊपर बताए गए कारण से प्राधिकारी द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया है। फॉर्मोसा हा तिन्ह स्टील कॉर्पोरेशन ने कई व्यापारियों/निर्यातकों के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। फॉर्मोसा हा तिन्ह स्टील कॉर्पोरेशन द्वारा भारत को उत्पादित संबद्ध सामानों के निर्यात में शामिल इन व्यापारियों/निर्यातकों द्वारा सहयोग न किए जाने के कारण, प्राधिकारी का मानना है कि फॉर्मोसा हा तिन्ह स्टील कॉर्पोरेशन से निर्यात की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के बिना निर्यात कीमत का उचित निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी ने वियतनाम के अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की तरह फॉर्मोसा हा तिन्ह स्टील कॉर्पोरेशन के लिए निर्यात के निर्धारण के संबंध में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों का सहारा लिया है।

होआ फाट डुंग क्वाट स्टील जेएससी और जेएफई शोजी कॉर्पोरेशन, सिंगापुर के लिए निर्यात कीमत

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि होआ फाट डुंग क्वाट स्टील जेएससी ने सीधे तौर पर असंबद्ध भारतीय ग्राहक को *** एमटी और असंबद्ध व्यापारी अर्थात् जेएफई शोजी कॉर्पोरेशन, सिंगापुर के माध्यम से असंबद्ध भारतीय ग्राहक को *** एमटी का निर्यात किया था। होआ फाट डुंग क्वाट स्टील जेएससी ने भारत को वाणिज्यिक मात्रा में संबद्ध सामानों का निर्यात किया। उत्पादक और असंबद्ध व्यापारी दोनों ने पूर्ण उत्तर दायर किया है और निवल निर्यात कीमत (एनईपी) निर्धारित करने के लिए सूचना प्रदान की है। समुद्री माल ढुलाई, अंतर्देशीय माल ढुलाई और अन्य मदों

पर होने वाले व्यय को उनके निर्यात कीमतों से घटा दिया गया है। उपरोक्त व्ययों के समायोजन के बाद, भारित औसत निवल कारखानागत निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

<u>असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत</u>

47. वियतनाम के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, निर्यात कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली की धारा 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। वियतनाम के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित हैं:

<u>पाटन मार्जिन</u>

48. जैसा कि ऊपर बताया गया है, संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक/निर्यातक का नाम	**प्रति यूनिट एनवी (यूएस डॉ./एमटी)**	**प्रति यूनिट एनईपी (यूएस डॉ./एमटी)**	**प्रति यूनिट पाटन मार्जिन (यूएस डॉ./एमटी)**	**पाटन मार्जिन %**	**पाटन मार्जिन % रेंज**
होआ फाट डुंग क्वाट स्टील जेएससी	***	***	***	***%	0-10
अन्य सभी	***	***	***	***%	20-30

ज. <u>क्षति की जांच और कारणात्मक संपर्क</u>

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

49. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. घरेलू उद्योग द्वारा दायर आयात आँकड़े गलत हैं। अत:, मात्रा प्रभाव और कीमत प्रभाव की जाँच से सही तस्वीर नहीं मिल सकती है।

ख. आधार वर्ष (वित्त वर्ष 20-21) की तुलना में जांच अवधि में भारतीय मांग में 54% की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान आवेदक उद्योग की घरेलू बिक्री में 67% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो भारतीय मांग से कहीं अधिक है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक उद्योग को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

ग. भारतीय मांग में आवेदक उद्योग की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में 9% बढ़ी।

घ. आवेदक उद्योग का उत्पादन आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में 36% तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ा, जिससे यह साबित होता है कि आवेदक उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

ङ. आवेदक उद्योग की क्षमता उपयोगिता में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में 9% की वृद्धि हुई, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उन्हें कोई क्षति नहीं हुई।

च. आवेदक उद्योग की प्रतिदिन उत्पादकता आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में 36% बढ़ी।

छ. आवेदक उद्योग को, यदि कोई क्षति हुई है, तो वह वियतनाम से संबद्ध सामानों के आयात के कारण नहीं, बल्कि अन्य कारकों के कारण हुई है।

ज. संबद्ध सामानों के आयात के विरुद्ध प्राधिकारी के समक्ष दायर रक्षोपाय आवेदन-पत्र में, आवेदक उद्योग ने अपनी अकुशलता स्वीकार की है क्योंकि उसने उल्लेख किया है कि वे निम्नलिखित पहल करेंगे -

- लौह अयस्क परिवहन और लाभकारीकरण में लागत दक्षता;
- कोक ओवन में मिश्रण और निवेश के माध्यम से कोक लागत अनुकूलन;
- दक्षता के माध्यम से ऊर्जा बचत;

- कैप्टिव कोकिंग कोल खदानों का संचालन;
- पीएलआई लाभ प्राप्त करना;
- मूल्यवर्धित डाउनस्ट्रीम उत्पादों जैसे विद्युत इस्पात और लेपित उत्पाद पर अधिक ध्यान;
- आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु ग्राहक निष्ठा बढ़ाने हेतु ब्रांडिंग पहलों पर ध्यान। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आवेदक उद्योग को, यदि कोई क्षति हुई है, तो वह उनकी आंतरिक अकुशलताओं के कारण हो रही है।

झ. आवेदक उद्योग को तीव्र आंतरिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है:

- आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में सहायक घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री में 78% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- वित्त वर्ष 22-23 की तुलना में जांच अवधि में अन्य घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री में 52% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में सहायक घरेलू उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी में 16% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

ञ. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में आवेदक उद्योग के वेतन की लागत में 65% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ट. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में निर्यात बिक्री में 65% की गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप वेतन की लागत सहित उच्च निर्धारित लागत बनी। इसने मांग-आपूर्ति बलों द्वारा संचालित उचित कीमत निर्धारण पर प्रतिस्पर्धा करने की आवेदक उद्योग की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

ठ. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में ब्याज की लागत में 104% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

ड. आवेदक उद्योग की मूल्यह्रास लागत आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में 66% तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई।

ढ. कोविड-प्रभावित वर्षों को आधार अवधि के रूप में उपयोग करने से कृत्रिम रूप से कम निर्धारण के साथ तुलना करके क्षति की उपस्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है।

ण. आवेदक उद्योग द्वारा अपनी याचिका में प्रदान किए गए आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वियतनाम से आयात में वृद्धि घरेलू मांग में इसी वृद्धि के साथ हुई है, न कि घरेलू उद्योग को किसी प्रत्यक्ष क्षति के साथ।

त. आवेदक ने आयात में वृद्धि और अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री या बाजार हिस्सेदारी में गिरावट के बीच कोई प्रत्यक्ष कारणात्मक संपर्क नहीं दर्शाया है। ऐसे विश्लेषण के अभाव में, आवेदक का क्षति का दावा अधूरा है।

थ. आवेदक उद्योग के अपने आंकड़े दर्शाते हैं कि 2022-23 में लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई, फिर भी वियतनामी आयात में पर्याप्त वृद्धि केवल जांच अवधि (ए) में हुई।

द. यह स्पष्ट है कि 2021-22 के दौरान, जब वियतनामी आयात नगण्य था, घरेलू उद्योग का लाभ 2020-21 की तुलना में पहले ही कम हो चुका था, जो क्षति के कारण के रूप में आंतरिक अक्षमताओं या अन्य बाजार कारकों, न कि पाटित आयातों का सुझाव देता है।

ध. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में औसत मालसूची स्तर में 69 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालाँकि, इसके साथ ही उत्पादन में भी तीव्र वृद्धि हुई। यह दर्शाता है कि मालसूची के संचयन से आयात-संचालित बाजार विस्थापन के बजाय अधिक उत्पादन या मांग पूर्वानुमानों के साथ बेमेल का परिणाम हो सकता है।

न. यह काल्पनिक दावा कि बीआईएस प्रमाणन में चूक के बिना आयात अधिक होता, अटकलबाजी है और क्षति सिद्ध करने के लिए वैध आधार के रूप में काम नहीं कर सकता है। एफएचएस का अनुरोध है कि उसने मई 2024 में अपने बीआईएस लाइसेंस का नवीनीकरण किया, जो दिसंबर 2025 तक वैध है, और वह लाइसेंस प्रदान किए जाने के बाद से भारत को कोई निर्यात बिक्री नहीं की है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बीआईएस

प्रमाणन के अधिकार और निर्यात की मात्रा के बीच कोई प्रत्यक्ष या स्वचालित संबंध नहीं है।

प. 2020-21 और जांच की अवधि (ए) के बीच बिक्री की लागत में 49% की वृद्धि हुई, जबकि वियतनाम से औसत आयात कीमत में केवल 23% की गिरावट आई। बिक्री कीमतों में संकुचन को बढ़ती लागतों से गुजरने में असमर्थता से बेहतर ढंग से समझाया गया है।

फ. आवेदक उद्योग की जांच की अवधि के बाद की अवधि में कीमतों में गिरावट का दावा वर्तमान जांच के लिए संगत नहीं है। पाटनरोधी ढांचे के लिए आवश्यक है कि क्षति और कारणात्मक संपर्क का आकलन परिभाषित जांच की अवधि के संदर्भ में किया जाए। इसके अतिरिक्त्, कथित कीमत गिरावट समग्र तिमाही सीआईएफ मूल्यों पर आधारित है, जिन्हें उत्पाद मिश्रण या बिक्री की शर्तों के लिए समायोजित नहीं किया जाता है और इसलिए ये वास्तविक लेनदेन-स्तरीय कीमत निर्धारण को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। आसन्न क्षति की भविष्यवाणी करने के लिए ऐसे जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का उपयोग काल्पनिक है और इसमें अपेक्षित साक्ष्य आधार का अभाव है।

ब. आवेदक उद्योग वियतनाम में क्षमता विस्तार का आरोप लगाने के लिए पूरी तरह से होआ फाट के आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह सामान्यीकृत दावा गलत है और साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है, और इसे एफएचएस सहित वियतनाम के सभी निर्यातकों पर लागू नहीं किया जा सकता है।

भ. आवेदक उद्योग का यह दावा करने के लिए रक्षोपाय जांच के प्रारंभिक निष्कर्षों पर भरोसा करना कि वर्तमान पाटनरोधी जांच में क्षति पहले ही स्थापित हो चुकी है, गलत और कानूनी रूप से अस्थिर है। दोनों कार्यवाहियों का दायरा अलग-अलग है।

म. आवेदक उद्योग ने ऐसा कोई विश्लेषण प्रदान नहीं किया है जो दर्शाता हो कि रक्षोपाय जांच में पहचानी गई क्षति केवल वियतनाम से आयात के कारण है। रक्षोपाय निष्कर्ष सभी स्रोतों से आयात के सामूहिक प्रभाव से संबंधित है और इसे एक विशिष्ट और विश्वसनीय कारण विश्लेषण के बिना

पाटनरोधी जांच में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, जिसका पूरी तरह से अभाव है।

य. आवेदक उद्योग का दावा है कि यदि उसे वियतनामी आयात कीमतों से मेल खाने के लिए मजबूर किया गया तो लाभप्रदता और आरओसीई नकारात्मक हो जाएगा, यह एक सैद्धांतिक धारणा पर आधारित है, न कि वास्तविक बाजार व्यवहार या सत्यापित आंकड़ों पर। आवेदक उद्योग ने यह नहीं दर्शाया है कि उसने वास्तव में जांच की अवधि के दौरान वियतनामी आयातों से मेल खाने के लिए अपनी कीमतें कम की हैं। इसके अलावा, इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि आवेदक उद्योग वियतनामी आयातों के जवाब में अपनी कीमत निर्धारण रणनीति को समायोजित करने के लिए मजबूर हुआ था, खासकर जब आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान इसकी बिक्री की मात्रा और बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई थी।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

50. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. घरेलू उद्योग ने बाजार आसूचना के अनुसार अपने पास उपलब्ध आयात आंकड़ों के साथ याचिका दायर की है। प्राधिकारी ने संबद्ध जाँच शुरू करते समय डीजी सिस्टम से लेनदेन-वार आयात आंकड़ों पर पहले ही विचार कर लिया है।

ख. 2020-21 में संबद्ध देश से भारत में संबद्ध सामानों का कोई आयात नहीं हुआ। संबद्ध देश से आयात 2021-22 में शुरू हुआ। 2021-22 में 940 एमटी के स्तर से, संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात जांच की अवधि (ए) के दौरान बढ़कर 662,866 एमटी हो गया। सूचीबद्ध संदर्भ में, संबद्ध देश से आयात 2021-22 में 100 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि (ए) में 70,485 सूचकांक हो गया है।

ग. घरेलू उद्योग की मांग और उत्पादन के संबंध में वियतनाम से आयात में भी वृद्धि हुई है।

घ. यह ध्यान देने योग्य है कि जनवरी 2024 और मार्च 2024 के बीच वियतनाम से संबद्ध सामानों का नगण्य या कोई आयात नहीं हुआ। यह मुख्य रूप से दिसंबर 2023 में प्रमुख उत्पादकों/निर्यातकों के बीआईएस लाइसेंस की समाप्ति के कारण था, जिसका नवीनीकरण केवल जांच की अवधि के बाद होता है। यदि इन उत्पादकों/निर्यातकों ने जनवरी से मार्च 2024 की अवधि के दौरान सक्रिय बीआईएस लाइसेंस बनाए रखा होता, तो जांच की अवधि के दौरान वियतनाम से आयात संभवतः काफी अधिक मात्रा में और कम कीमतों पर होता।

ड. वियतनाम विचाराधीन उत्पाद का का पारंपरिक निर्यातक नहीं रहा है। 2020-21 में वियतनाम से विचाराधीन उत्पाद का कोई निर्यात नहीं हुआ। हालाँकि, हाल के वर्षों में वियतनाम से आयात के बाजार हिस्से में वृद्धि की दर उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण है। संबद्ध देश से आयात का बाजार हिस्सा 2021-22 में 100 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि (ए) में 50,117 सूचकांक हो गया है।

च. वियतनाम से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी कटौती कर रहा है।

छ. जांच की अवधि (ए) के साथ-साथ 2022-23 के दौरान संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से काफी कम है। यह घरेलू उद्योग पर एक महत्वपूर्ण कीमत ह्रासमान/न्यूनीकरण प्रभाव पैदा कर रहा है और घरेलू उद्योग को भारतीय बाजार में उचित कीमत पर संबद्ध सामानों को बेचने की अनुमति नहीं दे रहा है।

ज. वियतनाम से संबद्ध सामानों की आयात कीमत में 2021-22 की तुलना में जांच की अवधि (ए) में 23% की कमी आई है, जबकि अन्य देशों से आयात कीमत में 2021-22 की तुलना में जांच की अवधि (ए) में केवल 9% की कमी आई है। इस प्रकार, जांच की अवधि (ए) में वियतनाम से

संबद्ध सामानों की आयात कीमत की तुलना में अन्य देशों से संबद्ध सामानों की आयात कीमत अपेक्षाकृत स्थिर रही है।

झ. वियतनाम के अलावा, कोरिया गणराज्य, जापान और चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों का आयात न्यूनतम स्तर से ऊपर है। तथापि, कोरिया गणराज्य, जापान और चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों की पहुंच कीमत जांच की अवधि के दौरान वियतनाम से पहुंच कीमत से काफी अधिक थी।

ञ. वियतनाम से संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत 2021-22 में 100 सूचकांक से घटकर जांच की अवधि में 77 सूचकांक हो गई है, जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में 2021-22 में 100 सूचकांक से मामूली वृद्धि देखी गई है और जांच की अवधि में 103 सूचकांक हो गई है। वियतनाम से पाटित आयातों द्वारा लगाए गए इस कीमत दबाव के कारण, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत जांच की अवधि में घटकर 87 सूचकांक रह गई है। यदि वियतनाम से कम कीमत वाले आयात इसी गति से जारी रहे तो यह निश्चित है कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति और भी बढ़ जाएगी।

ट. जांच की अवधि की तुलना में अप्रैल-अक्टूबर 2024 की जांच की अवधि के बाद की अवधि में वियतनाम से आयात में और वृद्धि हुई है। जांच की अवधि की तुलना में जांच की अवधि के बाद की अवधि में वियतनाम से आयात कीमत में भी और भी कमी आई है।

ठ. जांच अवधि में संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री और क्षति-रहित कीमत से कम है।

ड. प्रौद्योगिकी में कोई उल्लेखनीय विकास नहीं हुआ है जिससे आवेदक को क्षति हो सकती हो।

ढ. घरेलू उद्योग ने निर्यात निष्पादन और घरेलू निष्पादन को अलग-अलग कर दिया है। इसलिए, निर्यात निष्पादन में कोई भी गिरावट आवेदक के लिए क्षति का कारण नहीं हो सकती है।

ण. यदि वियतनाम से आयातों की मौजूदा प्रवृत्ति जारी रहती है और वियतनाम से आयातों पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को अपूरणीय क्षति होगी।

त. क्षति जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है। उत्तरदाताओं ने अनुक्रमित सूचकांकों पर भरोसा करके गलत निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय में सुधार हुआ है।

थ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय 2020-21 और 2021-22 की तुलना में 2022-23 और जांच की अवधि में काफी कम हो गया है। वियतनाम से संबद्ध सामानों के आयात और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के बीच एक स्पष्ट संबंध है।

द. प्रति इकाई नकद लाभ 2020-21 में 100 सूचकांक से बढ़कर 2021-22 में 152 सूचकांक हो गया था। तथापि, यह 2022-23 और जांच की अवधि (ए) में क्रमशः 5 सूचकांक और 44 सूचकांक तक गिर गया। कुल नकद लाभ भी इसी तरह की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

ध. नियोजित पूंजी पर आय 2020-21 में 100 सूचकांक से बढ़कर 2021-22 में 121 सूचकांक हो गई थी। तथापि, यह 2022-23 और जांच की अवधि (ए) में क्रमशः 3 सूचकांक और 58 सूचकांक तक गिर गया।

न. कुल मांग में वियतनाम का बाजार हिस्सा कम है क्योंकि वियतनाम से आयात, संबद्ध सामानों की संपूर्ण घरेलू मांग के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा नहीं करता है। वियतनाम से आयात, खुदरा बाजार में खपत होने वाले मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के तैयार हॉट-रोल्ड फ्लैट उत्पादों का होता है। साथ ही, घरेलू उद्योग के संबद्ध सामानों का पर्याप्त उत्पादन ओईएम क्षेत्र द्वारा खपत खपाया जाता है, जहां वियतनाम से आयात सीधे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। अतः, घरेलू बाजार में वियतनाम से आयात के प्रभाव का आकलन करने के लिए कुल मांग में वियतनाम से आयात के बाजार हिस्से पर पूरी तरह निर्भर रहना

उचित नहीं है। परिणामस्वरूप, कुल घरेलू मांग में वियतनाम से आयात का कम हिस्सा अप्रमाणिक और भ्रामक है।

प. संबद्ध सामानों की बाजार कीमत खुदरा बाजार द्वारा निर्धारित होती है, जहां वियतनाम से पाटित आयातों की महत्वपूर्ण उपस्थिति है और वियतनाम से आयात का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है। खुदरा बाजार में वियतनाम से आयात की पर्याप्त उपस्थिति समग्र बाजार के लिए कीमत न्यूनीकरण और ह्रास का कारण बन रही है। इस प्रकार, खुदरा बाजार की मांग में वियतनाम के हिस्से पर विचार करके, वियतनाम से आयात के प्रतिकूल मात्रा और कीमत प्रभाव के बारे में सही तस्वीर पता चलती है। वियतनाम से आयात, वियतनाम से आयात के लिए उपलब्ध मांग में महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं।

फ. भारत में विषयगत वस्तुओं की कुल मांग में खुदरा बाजार की हिस्सेदारी लगभग 22% है। जनवरी-दिसंबर 2023 के दौरान ऐसी खुदरा बाजार मांग में वियतनाम से आयात की हिस्सेदारी लगभग 9% है।

ब. वियतनाम से आयात और बाजार हिस्सेदारी का तिमाही-वार विश्लेषण आगे दर्शाता है कि अक्टूबर-दिसंबर 2023 की तिमाही में खुदरा बाजार मांग में वियतनाम से आयात का हिस्सा 18% जितना अधिक है।

भ. साथ ही, पाटनरोधी नियमों के तहत आयात के बाजार हिस्से की कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है। संबद्ध देश से आयात के बाजार हिस्से में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रासंगिक है, न कि जांच की अवधि के दौरान आयात का पूर्ण रूप से बाजार हिस्सा।

म. आवेदक का अनुरोध है कि प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश तब भी की है जब भारत में संबद्ध देश से आयात का हिस्सा बहुत कम था अर्थात जांच की अवधि में 10% से भी कम था। इस संबंध में निम्नलिखित पाटनरोधी जांचों पर भरोसा किया जाता है:

- थाईलैंड से बसों और लॉरियों के लिए ट्यूब और/या फ्लैप के साथ या उसके बिना रबर के नए न्यूमेटिक रेडियल टायरों पर

पाटनरोधी जांच में, प्राधिकारी ने 27 नवंबर 2020 को जारी अंतिम जांच परिणामों में नोट किया कि जांच की अवधि में थाईलैंड से आयात का बाजार हिस्सा 4.1% था। तथापि, प्राधिकारी ने थाईलैंड से आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की क्योंकि क्षति जांच अवधि के दौरान थाईलैंड से आयात पूर्ण और सापेक्ष रूप से बढ़ गया, सामान्य मूल्य से कम कीमतों पर था और घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा रहा था।

य. पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित क्लियर फ्लोट ग्लास के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में, प्राधिकारी ने 10 अक्टूबर 2014 के अंतिम जांच परिणाम में नोट किया कि जांच की अवधि में संबद्ध देशों से आयात का बाजार हिस्सा 8.41% था। तथापि, क्षति जांच अवधि के दौरान पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से स्पष्ट फ्लोट ग्लास का आयात निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से बढ़ा, कीमतें सामान्य मूल्य से कम कीमतों पर थे और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे थे।

कक. घरेलू उद्योग कई इस्पात उत्पादों के उत्पादन में लगा हुआ है न कि केवल विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में। आवेदक ने केवल विचाराधीन उत्पाद के आयात पर ही पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। साथ ही, आवेदक केवल वियतनाम से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध कर रहा है, न कि आयात के सभी स्रोतों से, क्योंकि जांच की अवधि के दौरान वियतनाम से आयात पाटित किए गए थे। यदि घरेलू उद्योग अकुशल होता, तो वह आयात प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम नहीं होता।

खख. आवेदक घरेलू उत्पादकों द्वारा रक्षोपाय जाँच में प्रस्तुत समायोजन योजना को अकुशलता की स्वीकृति के समान नहीं माना जा सकता। पाटित आयातों के कारण होने वाली क्षति को दूर करने और पाटित आयातों के कारण होने वाली क्षति के खतरे को रोकने के लिए कोई भी समायोजन

योजना पर्याप्त नहीं हो सकती। साथ ही, गैर-मिश्र धातु और मिश्र धातु इस्पात फ्लैट उत्पादों के लिए आवेदक कंपनियों सहित 7 उत्पादकों द्वारा रक्षोपाय जाँच में समायोजन योजना प्रस्तुत की गई है, जिसमें सभी स्रोतों से गैर-मिश्र धातु और मिश्र धातु इस्पात फ्लैट उत्पादों के आयात में अचानक वृद्धि को समायोजित करने के उद्देश्य से रक्षोपायो की अस्थायी अवधि के दौरान उठाए जाने वाले तत्काल कदमों पर प्रकाश डाला गया है। इसे किसी भी तरह से घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद के लिए उनके निष्पादन के संबंध में वर्तमान जांच में अकुशलता की स्वीकृति नहीं माना जा सकता।

गग. घरेलू उद्योग की ओर से आईएसए द्वारा दायर आवेदन-पत्र के आधार पर शुरू की गई वर्तमान पाटनरोधी जांच और 7 घरेलू उत्पादकों की ओर से आईएसए द्वारा दायर आवेदन के आधार पर शुरू की गई रक्षोपाय जांच के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। प्राधिकारी ने 19 दिसंबर 2024 को गैर-मिश्र धातु और मिश्र धातु इस्पात फ्लैट उत्पादों के आयात पर एक रक्षोपाय जांच शुरू की, जो वर्तमान में जारी है। रक्षोपाय जांच में निम्नलिखित 5 उत्पाद शामिल हैं:

- हॉट रोल्ड ("एचआर") कॉइल, शीट और प्लेट,
- एचआर प्लेट मिल प्लेट,
- कोल्ड रोल्ड ("सीआर") कॉइल और शीट,
- धातु लेपित स्टील कॉइल और शीट, चाहे प्रोफाइल किए गए हों या नहीं, गैल्वेनियल सहित, जिंक या एल्युमीनियम-जिंक या जिंक-एल्युमीनियम-मैग्नीशियम से लेपित, और
- रंगीन लेपित कॉइल और शीट, चाहे प्रोफाइल किए गए हों या नहीं।

घघ. रक्षोपाय जांच में जांच की अवधि 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक है। पिछले तीन वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 हैं। जब जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 को प्रस्तावित जांच की अवधि मानते हुए वर्तमान पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए अप्रैल 2024 में आवेदन-पत्र दायर किया गया था, तो वियतनाम से आयात कम कीमतों पर थे और

अन्य देशों से आयात अधिक कीमतों पर थे। विचाराधीन उत्पाद मुख्य रूप से 4 देशों यानी वियतनाम, कोरिया गणराज्य, जापान और चीन जन.गण. से आयात किया जाता है। मार्च 2024 के बाद, अन्य 3 देशों से आयात भी कम कीमतों पर होने लगे। सभी स्रोतों से 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 के दौरान विचाराधीन उत्पाद के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित अन्य 4 स्टील उत्पाद श्रेणियों के आयात में भी वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, गैर मिश्र धातु और मिश्र धातु फ्लैट उत्पादों के घरेलू उत्पादकों ने रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के लिए आवेदन-पत्र दायर करने का निर्णय लिया। प्राधिकारी ने 18 मार्च 2025 को जारी प्रारंभिक जांच परिणामों में इस तथ्य को पहले ही निर्धारित कर दिया है। इस प्रकार, सही तथ्यों पर विचार किए बिना वर्तमान पाटनरोधी जांच और रक्षोपाय जांच के बीच सरल तुलना नहीं की जा सकती है।

डड. इस दावे के संबंध में कि आंतरिक प्रतिस्पर्धा, वेतन लागत में वृद्धि, निर्यात बिक्री में गिरावट, ब्याज लागत में वृद्धि और मूल्यह्रास क्षति के अन्य कारक हैं, इनमें से कोई भी कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रहा है जिससे वियतनाम से आयात और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क टूट सके। सबसे पहले, मूल्यह्रास में कोई वृद्धि नहीं हुई है और ब्याज लागत में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है जो 2022-23 और जांच की अवधि (ए) के दौरान लाभप्रदता में ऐसी गिरावट का कारण बन सके।

चच. वेतन में कुल वृद्धि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के कारण भी है। इसके अलावा, क्षति जांच के दौरान कुल वेतन और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है। उत्तरदाता उचित रूप से यह तर्क नहीं दे सकते कि कर्मचारियों के वेतन स्थिर होने चाहिए और समय के साथ नहीं बढ़ने चाहिए। उत्तरदाताओं सहित दुनिया के किसी भी उद्योग के लिए वेतन लागत कुल लागत में अंतर्निहित है।

छछ. निर्यात बिक्री के संबंध में, आवेदक ने नोट किया है कि आवेदक कंपनियों ने निर्यात निष्पादन और घरेलू निष्पादन को अलग-अलग किया है। इसलिए, निर्यात निष्पादन में कोई भी गिरावट आवेदक कंपनियों के लिए क्षति का कारण नहीं हो सकती है।

जज. पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के संबंध में, यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, और यह भी स्पष्ट है कि वियतनाम से आयात में वृद्धि हुई है और ऐसे आयात पाटित कीमतों पर हैं। वियतनाम से पाटित आयातों में वृद्धि से घरेलू उद्योग के साथ-साथ विचाराधीन उत्पाद के अन्य घरेलू उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

झझ. इस दावे के संबंध में कि 2020-21 और 2021-22 को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग करने से कारणात्मक संपर्क का आकलन प्रभावित हुआ है क्योंकि 2020-21 और 2021-22 कोविड-19 महामारी से प्रभावित थे, आवेदक का कहना है कि एक बार जांच की अवधि तय हो जाने के बाद उसे 2020-21 और 2021-22 की अवधि को बाहर करने की स्वतंत्रता नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि इन दो वर्षों को शामिल करने से कारणात्मक संपर्क विश्लेषण कैसे विकृत होता है। वास्तव में, इसका मतलब है कि भले ही 2022-23 और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हो, इसे वास्तविक सुधार नहीं माना जा सकता क्योंकि 2020-21 और 2021-22 की अवधि कोविड-19 से असामान्य रूप से प्रभावित थी और उस अवधि के दौरान भारत में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई थी। अत:, वर्ष 2022-23 और जांच की अवधि निश्चित रूप से 2020-21 और 2021-22 की तुलना में सुधार दर्शाएगी, भले ही इस अवधि के दौरान कोई वास्तविक सुधार न हो।

ञञ. इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग को 2022-23 के दौरान घाटा हुआ जब वियतनाम से आयात जांच की अवधि की तुलना में कम था, आवेदक ने नोट किया कि 2022-23 में अतिरिक्त कारक थे जिनके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हानि हुई। भारत सरकार ने 21 मई, 2022 को विचाराधीन उत्पाद सहित कुछ इस्पात उत्पादों के निर्यात पर निर्यात शुल्क

लागू किया, जो 19 नवंबर, 2022 तक लागू रहा। साथ ही, रूस-यूक्रेन युद्ध के परिणामस्वरूप 2022-23 में प्रमुख कच्ची सामग्री, कोकिंग कोयला की कीमत बहुत अधिक थी। तथापि, निर्यात शुल्क लगाए जाने के कारण घरेलू उद्योग 2022-23 में बिक्री कीमत बढ़ाने में असमर्थ रहा।

टट. मालसूची में वृद्धि के दावे के संबंध में, विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन एक सतत प्रक्रिया है और इसे रोका नहीं जा सकता। यदि घरेलू उद्योग अपना उत्पादन बेचने में असमर्थ है, तो मालसूची बढ़ेगी।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

51. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में *"..... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..."* घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती।

52. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तत्वो जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमावली के अनुबंध II के अनुसार विचार किया गया है।

53. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संपर्क पर किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में किए गए अनुरोधों, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा माना माना गया है, की जांच की गई है और उनका समाधान निम्नानुसार किया गया है।

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मानदंड गिरावट दर्शाते हों। कुछ मानदंड गिरावट दर्शा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य नहीं दर्शा सकते हैं। प्राधिकारी सभी क्षति मानदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद यह निर्धारित करते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है या होने की संभावना है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए क्षति मानदंडों की निष्पक्ष रूप से जांच की है।

ज.3.1. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग का आंकलन

55. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में किया है। इस प्रकार मूल्यांकित मांग नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

विवरण	**इकाई**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**	**पीओआई(ए)**
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	144	205	164
वियतनाम से आयात	एमटी	-	940	217,314	828,583	662,866
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	23,108	88,106	70,485
अन्य देशों से आयात	एमटी	1,037,401	1,104,297	1,991,631	3,078,292	2,462,634
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	192	297	237
समर्थकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	166	219	176
अन्य घरेलू उत्पादकों की	एमटी	***	***	***	***	***

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई	पीओआई(ए)
बिक्री						
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	70	47	84	67
कुल मांग (कैप्टिव को छोड़कर)	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	126	182	146
कुल मांग (कैप्टिव सहित)	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	124	175	140

56. यह नोट किया जाता है कि 2020-21 में विषयगत देश से भारत में विषयगत वस्तुओं का कोई आयात नहीं हुआ। विषयगत देश से आयात 2021-22 में शुरू हुआ। 2021-22 में 940 मीट्रिक टन के स्तर से, विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं का आयात जांच अवधि (ए) के दौरान बढ़कर 662,866 मीट्रिक टन हो गया। कैप्टिव को छोड़कर विषयगत वस्तुओं की मांग में लगातार वृद्धि हुई है और आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में 46 सूचकांक अंकों की वृद्धि हुई है।

ख) संबद्ध देश से आयात मात्रा और हिस्सा

57. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में, चाहे निरपेक्ष रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के लेन-देन-वार आंकड़ों पर भरोसा किया है। क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के आयात की मात्रा और उसका हिस्सा निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई	पीओआई(ए)
वियतनाम से आयात	एमटी	-	940	217,314	828,583	662,866
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	23,108	88,106	70,485
भारत में कुल आयात	एमटी	1,037,401	1,105,238	2,208,945	3,906,875	3,125,500
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	213	377	301
घरेलू उद्योग का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	124	171	137
मांग (कैप्टिव को छोड़कर)	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	126	182	146
के संबंध में संबद्ध देश से आयात						
कुल आयात	%	***%	***%	***%	***%	***%
रेंज	रेंज	-	0-10%	5-15%	20-30%	20-30%
घरेलू उद्योग का उत्पादन	%	***%	***%	***%	***%	***%
रेंज	रेंज	-	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%
मांग	%	***%	***%	***%	***%	***%
रेंज	रेंज	-	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%

58. प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

- विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं का आयात निरपेक्ष रूप से 2021-22 में 940 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि (ए) में 662,866 मीट्रिक टन

हो गया है। अनुक्रमित रूप में, विषयगत देश से आयात 2021-22 में 100 अनुक्रमित बिंदुओं से बढ़कर जांच अवधि (ए) में 70,485 अनुक्रमित बिंदु हो गया है।

- क्षति जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन के साथ-साथ मांग के संबंध में भी संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात बढ़ा है।

ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

59. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती।

60. तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

क) कीमत कटौती

61. जांच की अवधि के दौरान कीमत कटौती नीचे दी गई है:

विवरण	यूओएम	कीमत कटौती
पहुंच कीमत	रु./एमटी	51,305
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***
कीमत कटौती	रु./एमटी	***
कीमत कटौती	%	***%
रैंज	रैंज	0-10%

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है और घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रही है।

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

63. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास अथवा न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव घरेलू कीमतों को काफी मात्रा तक कम करना है अथवा घरेलू कीमतों में वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती, प्राधिकारी क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों को नोट करते हैं।

विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई (ए)**
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	144	167	149
बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	148	136	129
पहुंच कीमत	रु./एमटी	-	66,672	48,604	51,305
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	73	77

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि और 2022-23 के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों का पहुँच कीमत उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से काफी कम थी। इससे घरेलू उद्योग पर काफी कीमत ह्रास का प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में 2020-21 की तुलना में जांच की अवधि में 49 सूचकांक तक वृद्धि हुई है, जबकि वियतनाम से पाटित आयातों द्वारा लगाए गए कीमत दबाव के कारण उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में केवल 29 सूचकांक तक वृद्धि हुई है।

ज.3.3 घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

65. नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जाँच शामिल

होगी। पाटनरोधी नियमावली में आगे यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, डंपिंग मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, इन्वेंट्री, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियां

66. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री का ब्यौरा निम्नानुसार है:

विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**	**पीओआई (ए)**
संस्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	126	157	126
उत्पादन (पीयूसी)	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	124	171	137
क्षमता उपयोग	%	***%	***%	***%	***%	***%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	99	110	110
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	144	205	164
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	97	169	169

67. प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

- मांग में वृद्धि के अनुरूप, संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन 2020-21 में 100 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि (ए) के दौरान 137 सूचकांक हो गया है।
- मांग में वृद्धि के अनुरूप, संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री 2020-21 में 100 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि (ए) के दौरान 164 सूचकांक हो गई है।

- संबद्ध वस्तुओं का क्षमता उपयोग 2020-21 में 100 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि (ए) के दौरान 110 सूचकांक हो गया है।
- घरेलू उद्योग की औसत मालसूची 2020-21 में 100 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि (ए) के दौरान 169 सूचकांक हो गई है।

ख) बाजार हिस्सा

68. क्षति अवधि के दौरान बाजार हिस्सेदारी के संबंध में सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**	**पीओआई(ए)**
वियतनाम से आयात	एमटी	-	940	217,314	828,583	662,866
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	23,108	88,106	70,485
अन्य देशों से आयात	एमटी	1,037,401	1,104,297	1,991,631	3,078,292	2,462,634
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	192	297	237
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	144	205	164
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	126	182	146
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	***%	***%	***%	***%	***%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	114	113	113
वियतनाम से आयातों का बाजार हिस्सा	%	***%	***%	***%	***%	***%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	18,976	50,117	50,117

69. प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

- संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात निरपेक्ष रूप से 2021-22 में 940 एमटी से बढ़कर जांच की अवधि (ए) में 662,866 एमटी हो गया है। संबद्ध देश से सूचकांक के संदर्भ में आयात 2021-22 में 100 से बढ़कर जांच की अवधि (ए) में 70,485 हो गया है।
- घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 2021-22 में 108 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि (ए) में 113 सूचकांक हो गया है, जबकि संबद्ध देश से आयात का बाजार हिस्सा इसी अवधि के दौरान 100 सूचकांक से बढ़कर 50,117 सूचकांक हो गया है।

ग) लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय

70. क्षति अवधि के दौरान लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ के संबंध में सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**	**पीओआई (ए)**
कर पूर्व लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	170	(29)	24	24
कर पूर्व लाभ	करोड़ रु.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	191	(42)	50	40
ब्याज और कर पूर्व लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	148	3	49	49
ब्याज और कर पूर्व लाभ	करोड़ रु.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	166	4	101	81
नकद लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	152	5	44	44
नकद लाभ	करोड़ रु.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	171	7	90	72
नियोजित पूंजी पर आय	%	***%	***%	***%	***%	***%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	3	58	58

71. प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

- घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय 2020-21 और 2021-22 की तुलना में 2022-23 और जांच की अवधि में काफी कम हो गई है। घरेलू उद्योग 2020-21 में अच्छा मुनाफा कमा रहा था जब वियतनाम से कोई आयात नहीं हुआ था, और 2021-22 में जब वियतनाम से आयात नगण्य था। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2022-23 और जांच की अवधि (ए) में प्रभावित हुई जब वियतनाम से भारत में काफी पाटित आयात आए।

- प्रति इकाई कर-पूर्व लाभ 2020-21 में 100 सूचकांक से बढ़कर 2021-22 में 170 सूचकांक हो गया। तथापि, यह क्रमशः 2022-23 और जांच की अवधि (ए) में घटकर क्रमश: (29) सूचकांक और 24 सूचकांक रह गया। कुल कर-पूर्व लाभ भी इसी तरह की प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- प्रति इकाई नकद लाभ 2020-21 में 100 सूचकांक से बढ़कर 2021-22 में 152 सूचकांक हो गया। तथापि, यह 2022-23 और पीओआई(ए) में क्रमशः 5 सूचकांक और 44 सूचकांक तक गिर गया। कुल नकद लाभ भी इसी तरह की प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- नियोजित पूंजी पर आय 2020-21 में 100 सूचकांक से बढ़कर 2021-22 में 121 सूचकांक अंक हो गया। तथापि, यह 2022-23 और पीओआई(ए) में क्रमशः 3 सूचकांक और 58 सूचकांक तक गिर गया।
- प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई(ए) की तुलना में 2022-23 में घरेलू उद्योग की अधिक हानि और/या कम लाभप्रदता अतिरिक्त कारकों की मौजूदगी के कारण थी, जैसे कि संबद्ध सामानों पर निर्यात शुल्क, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण मेट कोक जैसे प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि। वियतनाम से आयात के अलावा, इन कारकों ने घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट को और बढ़ा दिया। चूँकि ये कारक जाँच अवधि (ए) में कम हो गए, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कुछ हद तक सुधार हुआ। तथापि, 2022-23 की तुलना में जाँच अवधि (ए) में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार के बावजूद, वियतनाम से बढ़ते आयात के कारण

कीमतों पर लगातार दबाव के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता कम रही और 2020-21 और 2021-22 की तुलना में इसमें काफी गिरावट आई।

घ) माल सूची

72. क्षति अवधि के दौरान मालसूची के संबंध में सूचना निम्नलिखित है:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई	पीओआई (ए)
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	97	169	169

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की मालसूची में 2021-22 में गिरावट आई है और उसके बाद 2022-23 और जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

ड.) उत्पादकता, रोजगार, और मजदूरी

74. पूरी क्षति अवधि के दौरान उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी के संबंध में सूचना निम्नलिखित है:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई	पीओआई (ए)
उत्पादकता प्रति दिन	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	124	137	137
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	106	115	115
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	117	119	119
वेतन और मजदूरी	करोड़ रु.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	144	230	184

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता में उसी अवधि में मांग में वृद्धि के कारण वृद्धि हुई है।

च) वृद्धि

76. क्षति अवधि के दौरान वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के संबंध में सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	पीओआई (ए)
उत्पादन	%	13%	10%	11%
घरेलू बिक्री	%	12%	28%	14%
पीबीटी (प्रति यूनिट)	%	70%	-117%	184%
पीबीआईटी (प्रति यूनिट)	%	48%	-98%	1645%
नकद लाभ (प्रति यूनिट)	%	52%	-97%	748%
आरओआई	%	21%	-98%	2020%
मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	8%	6%	-1%
मालसूची	%	-18%	17%	75%

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता, नकद लाभ, निवेश पर आय, बाजार हिस्सेदारी और मालसूची के संदर्भ में नकारात्मक वृद्धि देखी है।

छ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

78. संबद्ध देशों से आयात कीमतों, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, आदि की जाँच से पता चलता है कि संबद्ध देश से आयातित सामग्री का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, जिससे कीमत कटौती हो रही है। कीमत कटौती के कारण भारतीय बाजार में कीमत ह्रास हुआ है। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि हुई है और इसलिए यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता है।

ज) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की आगे कोई पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता काफी कम हो गई है। घरेलू उद्योग का लाभ पहले ही काफी कम हो चुका है, और घरेलू उद्योग अधिक पूंजी निवेश जुटाने की स्थिति में नहीं है।

झ) पाटन मार्जिन की मात्रा

80. यह देखा जाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और महत्वपूर्ण है।

ज.4. वास्तविक क्षति का खतरा

ज.4.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

81. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने वास्तविक क्षति के खतरे के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

ज.4.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

82. वास्तविक क्षति के खतरे के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. जाँच की अवधि के बाद संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई है:

विवरण	**यूनिट**	**2020- 21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**	**पीओआई (ए)**	**अप्रैल-अक्टू. 2024**	**अप्रैल-अक्टू. 2024 (ए)**
संबद्ध आयात	एमटी	-	**940**	**217,314**	828,583	**6,62,866**	4,37,164	**7,49,424**
	सूचीबद्ध	-	**100**	**23,108**	-	**70,485**	-	**75,680**

ख. जांच की अवधि के बाद पाटित कीमतों पर संबद्ध आयातों में लगातार वृद्धि हुई है:

विवरण	**यूनिट**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**	**पीओआई से पहले (ए)**
सीआईएफ कीमत	रु./एमटी	-	66,672	48,604	51,305	48,563
	सूचीबद्ध	-	100	73	77	73

ग. जांच की अवधि में आयात कीमत में वर्ष 2021-22 की तुलना में काफी गिरावट आई। जांच की अवधि के बाद की अवधि में आयात कीमत में और गिरावट आई है।

घ. जांच की अवधि के बाद की अवधि में तिमाही-वार गिरावट इस प्रकार है:

विवरण	**यूओएम**	**अप्रैल 2024 से जून 2024**	**जुलाई 2024 से सितंबर 2024**	**अक्तूबर 2024**
सीआईएफ कीमत	रु./एमटी	-	49,251	47,374

ड. पाटित आयातों की मात्रा में तेजी से वृद्धि भारत में घरेलू इस्पात उद्योग को भारी नुकसान के बढ़ते जोखिम को दर्शाती है।

च. वियतनाम में इस्पात क्षमता में वृद्धि भारतीय इस्पात उद्योग के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है। होआ फाट द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर से पता चलता है कि उसने क्षति जांच अवधि के दौरान अपनी क्षमता में वृद्धि की है। बाजार खुफिया सूचना के अनुसार, 2024 में वियतनाम में विचाराधीन उत्पाद की क्षमता 8.2 मिलियन टन थी और 2025 में 5.6 मिलियन टन क्षमता विस्तार की योजना है। इस प्रकार, वियतनाम में विचाराधीन उत्पाद की कुल क्षमता 68% तक बढ़ जाएगी और 2025 में 13.8 मिलियन टन तक पहुँच जाएगी। वियतनाम में विचाराधीन उत्पाद की मांग में ऐसी कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

छ. वियतनामी इस्पात के खिलाफ अन्य देशों द्वारा व्यापार उपचार उपायों को लागू करने का मतलब है कि वियतनामी इस्पात को कम निर्यात गंतव्य मिलते हैं और भारतीय बाजार में अधिक आपूर्ति का जोखिम है, जिससे प्रतिस्पर्धा और तेज हो जाएगी और संभावित रूप से कीमत अस्थिरता हो सकती है।

ज. वियतनाम से हॉट रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पादों के निर्यात के विरुद्ध लगाए गए और जारी व्यापार उपचार उपायों का विवरण नीचे दिया गया है:

आयातक देश	उत्पाद का विवरण	उपाय का प्रकार	जांचे गए/प्रभावित देश	अवधि	वियतनाम पर शुल्क की दर
थाइलैंड	हॉट-रोल्ड स्टील कॉइल और प्लेट	पाटनरोधी शुल्क	मिस्र और वियतनाम	1 दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2026	24.38% से 42.34%
यूरोप	लोहे, गैर-मिश्र धातु या अन्य मिश्र धातु इस्पात से बने हॉट-रोल्ड फ्लैट उत्पाद	पाटनरोधी शुल्क	मिस्र, भारत, जापान और वियतनाम	जारी जांच - अनंतिम उपाय जारी किया गया है - फॉर्मोसा और वियतनाम के अन्य सभी देशों पर 12.1% का पाटनरोधी शुल्क	
मेक्सिको	हॉट रोल्ड स्टील, जिसमें लोहे या कार्बन स्टील से बने फ्लैट स्टील उत्पाद शामिल हैं, चाहे वे पिकल्ड हों या अनपिकल्ड और बिना कोटिंग वाले, जिनकी अधिकतम मोटाई 25.4 एमएम हो।	पाटनरोधी शुल्क	चीन और वियतनाम	जारी जाँच - 3 मार्च 2025 को शुरू - जाँच की अवधि 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक	

झ. वियतनाम में संबद्ध सामानों के उत्पादकों के पास काफी मालसूची है। चूँकि वियतनाम हाल के वर्षों में एक प्रमुख इस्पात उत्पादक और निर्यातक के रूप में उभरा है, इसलिए इसकी बढ़ती मालसूची भारतीय इस्पात उत्पादकों के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा का संकेत देते हैं।

ञ. यदि वियतनाम से आयात इसी गति से जारी रहा, तो घरेलू उद्योग के पास अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए उनकी कीमतों के बराबर कीमत तय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। यह देखा जा सकता है कि यदि घरेलू उद्योग को वियतनाम से आयात कीमत के बराबर कीमत तय करना पड़ा, तो घरेलू उद्योग के लिए लाभप्रदता और आरओसीई दोनों नकारात्मक हो जाएँगे।

ज.4.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

83. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के पैरा (vii) में निम्नलिखित प्रावधान है:

(vii) वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा, न कि केवल आरोप, अनुमान या दूरगामी संभावना पर। परिस्थितियों में परिवर्तन जो ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा जिसमें पाटन से क्षति होगी, स्पष्ट रूप से पूर्वानुमानित और आसन्न होना चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में निर्धारण करते समय, निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार करेंगे:

(क) भारत में पाटित आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि दर, जो आयात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती है;

(ख) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, या आसन्न, पर्याप्त वृद्धि, जो भारतीय बाजारों में पाटित निर्यात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती है, जिसमें किसी भी अतिरिक्त निर्यात को लेने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाएगा;

(ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर काफी ह्रासमान अथवा न्यूनीकरण प्रभाव होगा, और आगे के आयातों की मांग में वृद्धि की संभावना होगी; और

(घ) जाँच की जा रही वस्तु की मालसूची।

84. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वास्तविक क्षति के खतरे के आकलन के लिए, प्राधिकारी भारत में पाटित आयातों की वृद्धि दर, संबद्ध देश में निपटान योग्य क्षमता, संबद्ध देश में क्षमता में वृद्धि, संबद्ध देश से आयात कीमतों की प्रवृत्ति, संबद्ध देश में उत्पादकों/निर्यातकों के पास विचाराधीन उत्पाद की मालसूची जैसे कारकों पर विचार कर सकते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे के आकलन के लिए उपरोक्त कारकों के अतिरिक्त किसी अन्य कारक की भी जाँच कर सकते हैं।

क) पाटित आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि दर

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वियतनाम से आयात 2020-21 में शून्य से बढ़कर जाँच की अवधि (ए) में 6,62,866 एमटी हो गया है।

आयात	**यूनिट**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई (ए)**
वियतनाम	एमटी	-	940	217,314	662,866
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	23,108	70,485
कुल मांग (कैप्टिव को छोड़कर)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	126	146

86. प्राधिकारी ने नोट किया है कि क्षति जाँच अवधि के दौरान वियतनाम से आयात में लगातार और उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2021-22 की तुलना में जाँच अवधि में वियतनाम से आयात में *** सूचकांक की वृद्धि हुई है।

87. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि क्षति जाँच अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि की दर माँग में वृद्धि की दर से काफ़ी अधिक है।

ख) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, या आसन्न, पर्याप्त वृद्धि, जो भारतीय बाज़ारों में पाटित निर्यात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती है, जिसमें किसी भी अतिरिक्त निर्यात को लेने के लिए अन्य निर्यात बाज़ारों की उपलब्धता को ध्यान में रखा गया है।

88. वियतनाम में उत्पादकों/निर्यातकों के पास उपलब्ध क्षमता वियतनाम में घरेलू माँग से अधिक है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वियतनाम में विचाराधीन उत्पाद की कुल क्षमता ***% तक बढ़ जाएगी और 2025 में *** मिलियन टन तक पहुँच जाएगी।

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वियतनाम में उत्पादकों/निर्यातकों के पास पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता है जिसका उपयोग भारत को निर्यात बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

90. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के अनुरोध के अनुसार, वियतनाम में संबद्ध सामानों की कुल क्षमता, वियतनाम में संबद्ध सामानों की कुल मांग से भी काफी अधिक है।

91. वियतनाम के सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों की क्षमता, क्षमता उपयोग और निर्यात बिक्री की जाँच से पता चलता है कि वियतनाम के उत्पादकों/निर्यातकों ने संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि की है और/या उनके पास संबद्ध सामानेां की पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता है और/या उन्होंने क्षति जाँच अवधि के दौरान भारत को अपनी निर्यात बिक्री में वृद्धि की है।

92. इस प्रकार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वियतनाम में उत्पादकों की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, या आसन्न, पर्याप्त वृद्धि है, जो भारतीय बाजारों में पाटित निर्यात में काफी वृद्धि की संभावना को दर्शाता है।

ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण रूप से ह्रासमान अथवा न्यूनीकरण प्रभाव पड़ेगा, और आगे के आयातों की मांग में वृद्धि होने की संभावना है।

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों की पहुँच कीमत, 2021-22 को छोड़कर, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से काफी कम है। इससे घरेलू उद्योग पर काफी कीमत ह्रास/न्यूनीकरण प्रभाव प्रभाव पड़ रहा है।

I. गैर-आरोपण विश्लेषण

94. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी के लिए पाटित आयातों को छोड़कर किन्हीं ज्ञात कारकों की जांच करने की अपेक्षा है जो साथ-साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं, ताकि इन अन्य कारकों से होने वाली क्षति को पाटित आयातों के कारण न माना जाए। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, माँग में संकुचन या खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता शामिल हैं। नीचे इस बात की जाँच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों ने भी क्षति में योगदान दिया हो सकता है।

क) तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान गैर-संबद्ध देशों से आयात की कीमत संबद्ध देश से आयात की कीमत से अधिक है और घरेलू उद्योग की क्षति-रहित कीमत से भी अधिक है।

ख) मांग में संकुचन

96. पूरी क्षति अवधि में संबंधित उत्पाद की मांग में निरंतर वृद्धि हुई है। अत:, मांग में कमी घरेलू उद्योग के लिए क्षति का कारण नहीं हो सकती।

ग) निर्यात निष्पादन और कैप्टिव खपत

97. प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग ने घरेलू निष्पादन, निर्यात निष्पादन और कैप्टिव खपत को अलग-अलग वर्गीकृत किया है। ऊपर जांची गई क्षति संबंधी सूचना केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है।

घ) प्रौद्योगिकी का विकास

98. प्रौद्योगिकी में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

ङ) कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

99. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सूचना पर विचार किया है।

च) व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

100. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां नहीं हैं जिन्हें घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति का कारण माना जा सके।

छ) खपत के पैटर्न में परिवर्तन

101. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में भारत में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

ञ. <u>क्षति मार्जिन की मात्रा</u>

102. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति-रहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति-रहित कीमत जांच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई विधिवत सत्यापित उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति-रहित कीमत की क्षति मार्जिन के परिकलन के लिए संबद्ध देश से संबद्ध सामानों की पहुंच कीमत के साथ तुलना की गई है। क्षति-रहित कीमत निर्धारित करने के लिए, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री तथा यूटिलिटियों के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण अथवा गैर-आवर्ती व्यय उत्पादन लागत से अलग किया गया है। उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात औसत निवल अचल संपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित आय (कर-पूर्व @ 22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी, ताकि नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित क्षति रहित कीमत निकालने के लिए कर-पूर्व भाग के रूप में अनुमति दी गई थी।

103. ऊपर निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

उत्पादक/निर्यातक का नाम	**प्रति यूनिट क्षति रहित कीमत (यूएसडॉ.)**	**प्रति यूनिट पहुंच मूल्य (यूएसडॉ.)**	**प्रति यूनिट क्षति मार्जिन (यूएसडॉ.)**	**क्षति मार्जिन % **	**क्षति मार्जिन % रेंज**
होआ फाट डुंग क्वाट स्टील जेएससी	***	***	***	***%	0-10
अन्य सभी	***	***	***	***%	20-30

ट. <u>भारतीय उद्योग के हित</u>

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

104. जनहित के मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग ऑटोमोबाइल, निर्माण, बिजली उत्पादन, रेलवे, हवाई अड्डे आदि में किया जाता है। ऐसे में शुल्क लगाने से आम जनता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

क.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

105. जनहित के मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. पाटनरोधी शुल्क केवल वियतनाम से आयात पर लगाया जाएगा। वियतनाम के अलावा, भारत में विचाराधीन का आयात गैर-संबद्ध देशों से भी हो रहा है।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई	पीओआई (ए)
वियतनाम से आयात	एमटी	-	940	217,314	828,583	662,866
अन्य गैर-संबद्ध देशों से आयात	एमटी	1,037,401	1,104,297	1,991,631	3,078,292	2,462,634
कुल आयात	एमटी	1,037,401	1,105,238	2,208,945	3,906,875	3,125,500
कुल आयात के % के रूप में वियतनाम से आयात	%	0%	0%	10%	21%	21%

ख. यदि वियतनाम से आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया भी जाता है, तो प्रयोक्ता उद्योग अन्य गैर-संबद्ध देशों से पाटनरोधी शुल्क के बिना आयात कर सकेगा।

ग. इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद के किसी भी आयातक या प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। विचाराधीन उत्पाद के किसी भी आयातक या प्रयोक्ता ने सूचना प्रदान करके या कानूनी अनुरोध दायर करके जाँच में भाग नहीं लिया है। अतः, किसी भी आयातक या प्रयोक्ता द्वारा यह दावा नहीं किया जा सकता है कि पाटनरोधी शुल्क का उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आयातकों और प्रयोक्ताओं की एसोसिएशनों, जिन्होंने स्वयं को हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत किया है, ने भी प्राधिकारी द्वारा आयोजित मौखिक सुनवाई में भाग नहीं लिया है और प्राधिकारी द्वारा आयोजित मौखिक सुनवाई के अनुसरण में कोई लिखित अनुरोध दायर नहीं किए हैं।

घ. विभिन्न प्रकार के निचले स्तर के प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का अनुमान लगाया गया है और यह स्पष्ट है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव न्यूनतम होगा।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

106. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से संबद्ध पाटनरोधी जांच पर विचार आमंत्रित करते हुए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने आयातकों/प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की ताकि वे वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान कर सकें, जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव भी शामिल है। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनीयता, उपभोक्ताओं की स्रोत बदलने की क्षमता, प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव आदि के बारे में सूचना मांगी। भारत में संबद्ध सामानों के किसी भी आयातक या प्रयोक्ता ने कोई प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है अथवा प्राधिकारी को कोई सूचना नहीं दी है।

107. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने निचले स्तर के उद्योग और अंतिम ग्राहकों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव के संबंध में कोई मात्रात्मक और/या सत्यापन योग्य सूचना प्रदान नहीं की है। तथापि, घरेलू उद्योग ने अंतिम उपभोक्ताओं पर शुल्क के प्रभाव के संबंध में मात्रात्मक और सत्यापनीय सूचना प्रस्तुत की है। विभिन्न निचले स्तर के उत्पादों और अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए औसतन, प्रभाव 0.002% - 0.5% के बीच है।

108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामान अन्य गैर-संबद्ध देशों से भी आयात किए जाते हैं। वियतनाम से आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की स्थिति में, प्रयोक्ता उद्योग अन्य गैर-संबद्ध देशों से बिना पाटनरोधी शुल्क के आयात कर सकेगा।

109. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य, सामान्यतः, पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने का उद्देश्य किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयात को प्रतिबंधित करना नहीं है। व्यापार सुधारात्मक जाँच का उद्देश्य व्यापार को विकृत करने वाले आयातों के

विरुद्ध उचित शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करके घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसर बहाल करना है। साथ ही, प्राधिकारी इस बात से अवगत हैं कि ऐसे शुल्कों का प्रभाव केवल विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं पर भी पड़ता है।

110. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में जांच अवधि के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया जाता है कि भारतीय उद्योग के पास देश में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है और मांग-आपूर्ति में कोई अंतराल नहीं है।

ठ. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

111. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ दायर की गई हैं:

क. कंपनी ने कानून की आवश्यकताओं का पूर्णतः पालन करते हुए भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। भारत को निर्यात वाणिज्यिक मात्रा में किया गया था। इसे किसी भी दृष्टि से नगण्य नहीं माना जा सकता।

ख. बिना किसी पूर्वाग्रह के, यह अनुरोध है कि अनेक नई पाटनरोधी जाँचों में, प्राधिकारी ने क्षति मार्जिन, पाटन मार्जिन और शुल्क के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कम मात्रा पर भी विचार करना उचित समझा है, क्योंकि कानून में यह निर्धारित करने के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं है कि कोई विशेष आयात कम है या नहीं।

ग. निर्यात की मात्रा को केवल नए शिपर जाँच के मामले में ही देखा जाना है ताकि हेरफेर की संभावना से बचा जा सके। यह अनुरोध है कि आवेदक उद्योग ने अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए किसी कानून का उल्लेख नहीं दिया है।

घ. घरेलू उद्योग द्वारा प्रतिवादियों को इस आधार पर व्यक्तिगत शुल्क देने से इनकार करने का अनुरोध कि उनके आयात अग्रिम प्राधिकारी या बीआईएस लाइसेंसिंग से छूट देने वाली योजनाओं के तहत किए गए होंगे, कानूनी आधारहीन है।

ङ. प्राधिकारी निम्नलिखित कारणों से क्षति के निर्धारण और पाटन विश्लेषण के लिए अग्रिम प्राधिकार के तहत किए गए आयातों सहित भारत में कुल आयातों पर विचार करते हैं:

- अग्रिम प्राधिकार के तहत किए गए आयातों और घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा मौजूद है।
- अग्रिम प्राधिकार के तहत या विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)/100% ईओयू में स्थित आयातकों द्वारा किए गए आयात घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में ग्राहकों को बेचे जा सकते हैं।
- अग्रिम प्राधिकार/एसईजेड/100% ईओयू आयात लेनदेन पर हमेशा पाटनरोधी जाँच में विचार किया जाता है।
- प्राधिकारी ने लगातार विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और 100% ईओयू घरेलू उत्पादकों को पात्र आवेदक उद्योग माना है, क्योंकि वे पाटनरोधी कानून के प्रयोजनों के लिए भारत का हिस्सा हैं।
- घरेलू उत्पादक भी अपने उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजे) में स्थित इकाइयों को बेचते हैं, जो वाणिज्यिक संपर्क को दर्शाता है।
- पाटनरोधी कानून के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अग्रिम प्राधिकार के तहत या विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)/100% ईओयू स्थित आयातकों द्वारा किए गए आयातों को जाँच के क्षेत्र से बाहर रखता हो।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के माध्यम से किए गए आयातों सहित भारत में कुल आयातों को क्षति विश्लेषण में अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाता है।

च. उत्तरदाता अपने पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु अपनी वास्तविक सूचना पर विचार करने के लिए प्राधिकारी के आभारी हैं। हम माननीय प्राधिकारी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि यदि कोई भिन्न दृष्टिकोण हो, तो उत्तरदाता को अपनी टिप्पणियाँ/अनुरोध दर्ज करने का अवसर प्रदान करें।

ठ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

112. आवेदक द्वारा प्रकटन विवरण पर निम्नलिखित टिप्पणियां दायर की गई हैं:

क. प्राधिकारी को अंतिम जांच परिणाम में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की पुष्टि करनी चाहिए।

ख. प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर करने के अनुरोधों को अस्वीकार करने की पुष्टि करनी चाहिए।

ग. प्राधिकारी को पुष्टि करनी चाहिए कि जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग हैं, और यह कि आवेदन-पत्र अंतिम जांच परिणामों में पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

घ. प्राधिकारी को पुष्टि करनी चाहिए कि पाटनरोधी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क दोनों को एक साथ लगाने की सिफारिश करने पर कोई कानूनी रोक नहीं है और पाटनरोधी शुल्क केवल उस सीमा तक लगाया जाएगा, जो वियतनाम से आयात पर भुगतान किए गए रक्षोपाय शुल्क से अधिक हो।

ङ. प्राधिकरण को फॉर्मोसा हा तिन्ह स्टील कॉर्पोरेशन द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकार करने तथा अंतिम निष्कर्षों में फॉर्मोसा हा तिन्ह स्टील कॉर्पोरेशन के लिए शुल्क की व्यक्तिगत दर निर्धारित न करने के निर्णय की पुष्टि करनी चाहिए।

च. आवेदक ने वियतनाम से पाटन मार्जिन का अनुमान 20-30% की सीमा में लगाया है। तथापि, प्राधिकारी ने उत्पादक होआ फाट और निर्यातक जेएफई शोजी कॉर्पोरेशन के लिए पाटन मार्जिन 0-10% की रेंज में निर्धारित किया है।

आवेदक नोट करते हैं कि वियतनाम में विचाराधीन उत्पाद के केवल दो उत्पादक हैं अर्थात होआ फाट और फॉर्मोसा हा तिन्ह स्टील कॉर्पोरेशन। अत:, यह उम्मीद की जाती है कि आवेदक द्वारा अनुमानित पाटन मार्जिन वियतनाम में दोनों उत्पादकों के वास्तविक पाटन मार्जिन का प्रतिनिधि होगा।

छ. बाजार आसूचना के अनुसार आवेदक को उपलब्ध सूचना के अनुसार, जेएफई शोजी कॉर्पोरेशन ने जांच की अवधि (पीओआई) के दौरान भारत को वियतनाम से लगभग 30,000 एमटी विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। प्राधिकारी को यह सत्यापित करना चाहिए कि क्या जेएफई शोजी कॉर्पोरेशन ने भारत को निर्यात की पूरी मात्रा का खुलासा किया है।

ज. प्राधिकारी ने उत्पादक (होआ फाट) और व्यापारी (जेएफई शोजी कॉर्पोरेशन) दोनों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। संबद्ध वस्तुओं के निर्यातक/व्यापारी के रूप में जेएफई शोजी कॉर्पोरेशन की लाभप्रदता के संबंध में कोई अवलोकन नहीं किया गया है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ मार्जिन निवल निर्यात कीमत (एनईपी) की गणना में एक महत्वपूर्ण तत्व है और पाटन मार्जिन की सटीकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

झ. जेएफई शोजी कॉर्पोरेशन को प्रश्नावली के खंड ई के प्रश्न 9 के उत्तर में परिशिष्ट-5 प्रस्तुत करना आवश्यक था। हालाँकि, कंपनी ऐसा करने में विफल रही है।

ञ.. प्राधिकारी ने नोट किया है कि होआ फाट डुंग क्वाट स्टील जेएससी द्वारा समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा और "अन्य" के निमित्त समायोजनों का दावा किया गया है। प्राधिकारी को (i) क्रेडिट लागत निर्धारित करने के लिए होआ फाट और जेएफई शोजी कॉर्पोरेशन द्वारा दी गई क्रेडिट अवधि (ii) बैंक प्रभार (iii) बीमा (iv) बंदरगाह सार-संभाल व्यय (v) कमीशन और (vi) निर्यात के लिए अंतर पैकिंग लागत का सत्यापन और समायोजन करना चाहिए।

ट. प्राधिकारी को होआ फाट के लिए सामान्य मूल्य निर्यात कीमत की स्वीकृति के संबंध में टिप्पणियों पर विचार करने के बाद होआ फाट डुंग क्वाट स्टील

जेएससी के पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण को संशोधित करना चाहिए।

ठ. प्राधिकारी को होआ फाट द्वारा किए गए निर्यात की वैधता के बारे में विशेष रूप से नोट करना चाहिए, अर्थात क्या होआ फाट के पास जांच की अवधि के दौरान वैध बीआईएस लाइसेंस था और यदि होआ फाट के पास जांच की अवधि के दौरान वैध बीआईएस लाइसेंस नहीं था, तो जांच की अवधि के दौरान कानून के किस प्रावधान के अंतर्गत निर्यात किए गए थे।

ड. प्राधिकारी ने होआ फाट द्वारा चीन जन.गण. से कच्ची सामग्री की आयातित कीमत की विश्वसनीयता के संबंध में दावे की जांच नहीं की है। चीन जन.गण., जो एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है, से आयातित प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमत व्यापक सरकारी हस्तक्षेप, सब्सिडी और विकृत मूल्य निर्धारण परिपाटियों के कारण उचित अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों को नहीं दर्शा सकती हैं। इनकी जांच होनी चाहिए और जांच की अवधि के दौरान ऐसे कच्ची सामग्री की अंतरराष्ट्रीय कीमतों या बाजार अर्थव्यवस्था स्रोतों से भारत में समान सामग्रियों के आयात की कीमतों पर विचार करने के बाद सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन के निर्धारण में संशोधन किया जाना चाहिए।

ढ. होआ फाट द्वारा निर्यात मात्रा ***-***एमटी की रेंज में है, अर्थात वियतनाम से भारत में आयातों की कुल मात्रा का ****% से ****% है।

ण. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में पाया है कि होआ फाट ने भारत को वाणिज्यिक मात्रा में निर्यात किया है। तथापि, यह स्पष्ट नहीं है कि वाणिज्यिक मात्रा निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी द्वारा किस सीमा का उपयोग किया गया था, जब होआ फाट द्वारा भारत को निर्यात जांच की अवधि के दौरान वियतनाम से भारत को कुल निर्यात का केवल 3-4% ही दर्शाता है।

त. प्राधिकारी की यह सतत परिपाटी रही है कि वह जांच अवधि के दौरान भारत को बहुत कम मात्रा में निर्यात करने वाले उत्पादक/निर्यातक के लिए पाटनरोधी शुल्क की अलग-अलग दर निर्धारित नहीं करते।

थ प्राधिकारी को अपने अंतिम जांच परिणामों में वियतनाम के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन के निर्धारण की पुष्टि करनी चाहिए।

द. प्राधिकारी को अपने अंतिम जांच परिणामों में यह पुष्टि करनी चाहिए कि वियतनाम से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है।

ध. प्राधिकारी को अपने अंतिम जांच परिणामों में यह पुष्टि करनी चाहिए कि वियतनाम से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति और भी अधिक बढ़ने का खतरा है।

न. प्राधिकारी को अपने अंतिम जांच परिणामों में यह पुष्टि करनी चाहिए कि घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले कोई अन्य ज्ञात कारक नहीं हैं।

प. घरेलू उद्योग होआ फाट की निर्यात कीमत की स्वीकृति और घरेलू उद्योग द्वारा दायर की जा रही क्षति रहित कीमत के संबंध में टिप्पणियों के अध्यधीन क्षति मार्जिन निर्धारण से सहमत है।

फ. प्राकृतिक गैस की हेजिंग से होने वाले किसी भी लाभ या हानि को वित्तीय आय या व्यय माना जाना चाहिए और इसे उत्पादन लागत या क्षति रहित कीमत की गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को इस संबंध में किए गए समायोजन पर पुनर्विचार करना चाहिए और क्षति रहित कीमत की गणना के लिए हेजिंग लाभ से इसे कम किए बिना, जांच अवधि के दौरान हुई प्राकृतिक गैस की वास्तविक लागत पर विचार करना चाहिए।

ब. प्राधिकारी को यह पुष्टि करनी चाहिए कि प्रयोक्ताओं/निचले स्तर पर पाटनरोधी शुल्क का कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

113. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है।

114. जेएफई शोजी कॉर्पोरेशन सिंगापुर के संदर्भ में घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि यह होआ फाट डुंग क्वाट स्टील जेएससी, वियतनाम का एक असंबंधित व्यापारी है। इसने परिशिष्ट 5 सहित एक व्यापारी के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रश्नावली प्रारूप में प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है। यह नोट किया जाता है कि कंपनी ने भारत को किए गए विषयगत वस्तुओं के निर्यात के संबंध में लाभ अर्जित किया है, जो होआ फाट डुंग क्वाट स्टील जेएससी से प्राप्त किए गए थे। आयात आंकड़ों के विश्लेषण से यह भी नोट किया गया है कि जांच की अवधि के दौरान जेएफई सोजी कॉर्पोरेशन, सिंगापुर और जेएफई सोजी कॉर्पोरेशन, जापान दोनों द्वारा पीयूसी का निर्यात किया गया था। जेएफई सोजी कॉर्पोरेशन, जापान द्वारा उनके प्रश्नावली उत्तर में किए गए निर्यात की रिपोर्ट न करने के कारण के लिए उत्पादक/निर्यातक से स्पष्टीकरण मांगा गया था। उत्पादकों/निर्यातक ने उत्तर दिया कि जेएफई सोजी कॉर्पोरेशन, सिंगापुर और जेएफई सोजी कॉर्पोरेशन, जापान दो अलग-अलग संस्थाएं हैं। उन्होंने केवल जेएफई सोजी कॉर्पोरेशन, सिंगापुर के माध्यम से पीयूसी का निर्यात किया है, न कि जेएफई सोजी कॉर्पोरेशन, जापान के माध्यम से। इसके अलावा, यह दावा किया गया है कि कथित आयात प्रविष्टियाँ फॉर्मोसा हा तिन्ह स्टील कॉर्पोरेशन से संबंधित हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कथित प्रविष्टियाँ पूर्व-जांच अवधि से संबंधित हैं क्योंकि प्रविष्टि बिल 2 फरवरी, 2023 का है। प्राधिकारी ने जेएफई शोजी कॉर्पोरेशन द्वारा किए गए निर्यातों की डीजी सिस्टम डेटा से भी जाँच की है और वे सही पाए गए हैं।115. होआ फाट डुंग क्वाट स्टील जेएससी द्वारा भारत को संबद्ध सामानों के निर्यात की वैधता और मात्रा पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम आंकड़ों के साथ इसके द्वारा दावा किए गए संबद्ध सामानों के निर्यात की जांच की है। इसे सही पाया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क किसी खेप की आयात की अनुमति केवल अपेक्षित उचित परिश्रम करने के बाद ही देता है। होआ फाट डुंग क्वाट स्टील जेएससी के लिए पाटन और क्षति मार्जिन इसकी वास्तविक सत्यापित सूचना पर आधारित है। इसके अलावा, यह भी नोट किया जाता है कि इसने साधारण व्यापार प्रक्रिया में काफी/वाणिज्यिक मात्रा में असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है।

115. होआ फाट डुंग क्वाट स्टील जेएससी द्वारा भारत को संबद्ध सामानों के निर्यात की वैधता और मात्रा पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम आंकड़ों के साथ इसके द्वारा दावा किए गए संबद्ध सामानों के निर्यात की जांच की है। इसे सही पाया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क किसी खेप की आयात की अनुमति केवल अपेक्षित उचित परिश्रम करने के बाद ही देता है। होआ फाट डुंग क्वाट स्टील जेएससी के लिए पाटन और क्षति मार्जिन इसकी वास्तविक सत्यापित सूचना पर आधारित है। इसके अलावा, यह भी नोट किया जाता है कि इसने साधारण व्यापार प्रक्रिया में काफी/वाणिज्यिक मात्रा में असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है।

116. घरेलू उद्योग ने होआ फाट डुंग क्वाट स्टील जेएससी द्वारा चीन जनवादी गणराज्य से आयातित कच्चे माल की कीमत की विश्वसनीयता पर चिंता जताई है। इस संदर्भ में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि होआ फाट ने चीन जनवादी गणराज्य के असंबंधित आपूर्तिकर्ताओं से अल्प मात्रा में कच्चा माल खरीदा है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-I के पैरा 1 के अनुसार, सामान्य मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में उल्लिखित लागतों के तत्वों का निर्धारण निर्यातक या उत्पादक द्वारा रखे गए अभिलेखों के आधार पर किया जाएगा। उत्पादन लागत (सीओपी) की गणना संबद्ध देश के निर्यातक या उत्पादक द्वारा रखे गए अभिलेखों के आधार पर की गई है, जो निर्यातक देश के सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का विधिवत पालन करते हैं और विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागतों का यथोचित प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त, उत्पादन लागत (सीओपी) के निर्धारण का उद्देश्य जांच अवधि (पीओआई) के दौरान किसी विशिष्ट उत्पादक-निर्यातक द्वारा वहन की गई वास्तविक लागत/व्यय का सटीक प्रतिनिधित्व करना है।

117. घरेलू उद्योग द्वारा हेजिंग लाभ को वित्तीय आय के रूप में मानने तथा उत्पादन लागत या एनआईपी की गणना में इसे शामिल न करने के अनुरोध के संबंध में। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि जांच के दौरान और एएमएनएस इंडिया के परिसर में ऑन-साइट सत्यापन के समय इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई थी, घरेलू उद्योग के घटक को अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। यह नोट किया गया कि, प्राकृतिक गैस पर इस तरह के हेजिंग लाभ/हानि को घरेलू उद्योग के घटक-एएमएनएस इंडिया द्वारा अपने लेखा

पुस्तकों में वित्तीय आय के तहत दर्ज नहीं किया जाता है, जैसा कि दावा किया गया है, बल्कि इसे एएमएनएस इंडिया की लेखा पुस्तकों के प्रमाणित परीक्षण संतुलन में उपभोग की गई सामग्री और बिजली और ईंधन की लागत शीर्ष के तहत दर्ज/लेखांकित किया जाता है। तदनुसार, प्राधिकरण ने एएमएनएस इंडिया के लिए एनआईपी के निर्धारण हेतु उपभोग की गई सामग्री और बिजली और ईंधन की लागत शीर्ष के तहत दर्ज प्राकृतिक गैस पर हेजिंग लाभ पर विचार किया है।

ड. <u>निष्कर्ष</u>

118. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों, दी गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों, जैसा कि ऊपर जांच परिणाम में रिकॉर्ड किया गया है, को ध्यान में रखते हुए तथा घरेलू उद्योग को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं-

क. विचाराधीन उत्पाद "मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद हैं, जिन पर आवरण नहीं है, प्लेटिंग या कोटिंग नहीं है, जिनकी मोटाई 25 एमएम तक और चौड़ाई 2100 एमएम तक है"। उत्पाद के क्षेत्र में वे उत्पाद शामिल हैं जिन पर हॉट रोल्ड के अलावा और कोई काम नहीं किया गया है और जो मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के फ्लैट उत्पाद हैं, जो प्राइम या नॉन-प्राइम स्थिति में हैं, जिनमें 'ऐज़-रोल्ड' किनारा या 'ट्रिम्ड' किनारा या 'स्लिट' किनारा या 'मिल्ड' किनारा या 'शियर्ड' किनारा या 'लेज़र-कट' किनारा या 'गैस-कट' किनारा या किसी अन्य प्रकार का किनारा होता है। ये उत्पाद पिकल्ड या नॉन-पिकल्ड (स्किन-पास या टेम्परिंग के साथ या बिना), स्लिट या नॉन-स्लिट, सामान्यीकृत या गैर-सामान्यीकृत, अल्ट्रा-सोनिक रूप से परीक्षित या अपरीक्षित, ऑयल्ड या नॉन-ऑयल्ड आदि हो सकते हैं। ये उत्पाद 'ऐज-रोल्ड' या 'थर्मो-मैकेनिकल रूप से रोल्ड' या 'थर्मो-मैकेनिकल रूप से नियंत्रित रोल्ड' या 'नियंत्रित रोल्ड' या 'सामान्यीकृत रोल्ड' या 'सामान्यीकृत' या किसी अन्य समान प्रक्रिया के अधीन हो सकते हैं। इन उत्पादों को विभिन्न प्रसंस्करण चरणों जैसे पिकलिंग, ऑइलिंग,

रिवाइंडिंग, रीकॉइलिंग, टेम्पर रोलिंग, हीट ट्रीटमेंट आदि में रखा जा सकता है। ये उत्पाद सैंड ब्लास्ट या शॉट ब्लास्ट या समान प्रक्रियाओं के अधीन हो सकते हैं। इस उत्पाद के क्षेत्र में कॉयल्स और लंबाई में कटे हुए हॉट-रोल्ड फ्लैट उत्पाद शामिल हैं।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित सामान नियमों के अनुसार समान वस्तुएं हैं।

ग. आवेदक कंपनियाँ नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से 'घरेलू उद्योग' हैं, और यह कि आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

घ. होआ फाट डुंग क्वाट स्टील जेएससी को छोड़कर, संबद्ध देश से पाटन मार्जिन न केवल सकारात्मक है, बल्कि काफी भी है।

ङ. पाटित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी है। यदि वियतनाम से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को और अधिक गंभीर क्षति का खतरा है।

च. ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अन्य कारक के कारण घरेलू उद्योग को क्षति किसी अन्य कारक से प्रतीत नहीं होती है। प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण हुई है।

छ. जनहित के संबंध में यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का निचले स्तर के उत्पादों पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, पाटनरोधी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता है, बल्कि केवल यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमत पर बाजार में प्रवेश करें।

119. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी यह पाते हैं कि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से भारत में पाटित कीमतों पर निर्यात किया गया है और संबद्ध देश से संबद्ध उत्पाद के ऐसे पाटन से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ढ. <u>सिफारिश</u>

120. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, संबद्ध देश के दूतावास, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था।

121. नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क की जांच शुरू करने और जांच करने पर, प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति की भरपाई के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। अत:, प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर नीचे वर्णित रूप और तरीके से पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

122. नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 17(1)(ख) में निहित प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तद्नुसार, निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित शुल्क तालिका के कॉलम 3 में वर्णित संबद्ध सामानों के आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों के लिए लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष/ उपशीर्ष*	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि **	यूओएम	मुद्रा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	7208, 7211,7225 और 7226	मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद, नॉट क्लैड, नॉट प्लेटेड या कोटेड, 25 एमएम तक की मोटाई और 2100 एमएम तक की चौड़ाई के	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई देश	होआ फाट डुंग क्वाट स्टील जेएससी	शून्य	एमटी	यूएस.डा.
2	-वही	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई देश	कोई	121.55	एमटी	यूएस.डा
3	-वही-	-वही-	वियतनाम को छोड़कर कोई देश	वियतनाम	कोई	121.55	एमटी	यूएस.डा

**सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।*

***डीजीटीआर द्वारा अपनी फाइल संख्या 22/01/2024-डीजीटीआर, दिनांक 18 मार्च 2025 के तहत रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश की गई है और अधिसूचना संख्या 01/2025-सीमा शुल्क (एसजी) दिनांक 21 अप्रैल 2025 के तहत संबद्ध सामानों के लिए लगाया गया है। अत:, उपरोक्त कॉलम संख्या 7 में उल्लिखित पाटनरोधी*

शुल्क में से रक्षोपाय शुल्क घटाकर देय रक्षोपाय शुल्क, यदि कोई हो, घटाने की सिफारिश की जाती है।

ण. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

123. इन जांच परिणामों के कारण प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी